12.21 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE

BUDGET ESTIMATES OF EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION TOGETHER WITH 'PERFORMANCE-cum-PROGRAMME STATEMENT AND BUSINESS TYPE BUDGET'.

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment and for Planning (Shri C. R. Pattabhi Raman): I beg to lay on the Table a copy of the Revised Estimates for the year 1963-64 and the Budget Estimates for the year 1964-65 of the Employees' State Insurance Corporation, under section 36 of the Employees' State Insurance Act, 1948, together with 'Performance-cum-programme Statement and Business type Budget'.

[Placed in Library. *See* No. LT-2599/64].

ESTIMATES COMMITTEE

FIFTIETH REPORT

Shri A. C. Guha (Barasat): I beg to present the Fiftieth Report of the Estimates Committee on 'Public Undertakings—Accommodation rented in principal cities; and guest houses, staff cars etc., maintained by them.

12.22 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS—contd.

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE—contd.

Mr. Speaker: The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Food and Agriculture.

Shri Bishwanath Roy may now continue his speech.

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : मैंने एक मोशन दिया है कि फूड एंड एग्री-कल्चर पर बहस के लिए तीन घंटा समय और बढ़ा दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : आपने मोशन दिया था कि तीन घंटा समय बढ़ाया जाए । मैंने देखा कि पहले ही हम इस पर आठ घंटे खर्च कर चुके हैं और अब डेढ़ घंटे और खर्च करेंगे, और फिर मिनिस्टर घंटा सवा घंटा लेंगे । तो तीन घंटे बढ़ाने का आपका मतलब तो हल हो गया । मैं फिर मोशन को क्यों लाता ।

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) : माननीय अध्यक्ष जी, कल मैं इस बात पर जोर दे रहा था कि राष्ट्रीय आय में जिस साधन का ५० प्रतिशत से अधिक योग दान है, जिस साधन से जनता के ८० प्रतिशत से कुछ अधिक लोगों का जीवन निर्वाह होता है, तथा जिस साधन पर कुछ बड़ बड़ उद्योग धन्धे आधारित हैं, उस साधन की तरफ सरकार का ध्यान पहली, दूसरी और तीसरी योजना में उतना नहीं रहा है जितना उद्योग धंधों की ओर रहा है । इसका एक मोटा प्रमाण यह है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई के वास्ते जो पावर मिलती है उसका रेट उस पावर से अधिक होता है जो उद्योग धंधों को फैक्टरियां चलाने के लिए दी जाती है ।

दूसरी बात किसानों के लिए चकबन्दी की है । यह बहुत जरूरी और सुविधाजनक कार्य है । लेकिन उसकी गति अगर इतनी धीमी रही जैसी कि वर्तमान में है, तो इस सुविधा का लाभ किसान को बीस साल के पहले पूरी तरह नहीं मिल पाएगा ।

इसके अतिरिक्त नए ढंग के औजारों का प्रश्न है, जिसके बारे में प्रधान मंत्री जी प्रायः कहा करते हैं कि किसानों को कई सौ वर्ष पुराने औजारों के स्थान पर नए ढंग के औजारों को अपनाना चाहिए ताकि खेतों की जुताई में और पैदावार बढ़ाने में सुविधा हो ।

[श्री विश्वनाथ राय]

लेकिन उस तरफ भी सरकार का ध्यान ट्रैक्टर के सिवा अधिक नहीं गया है। सरकार को मालूम है कि प्रतिशत भी किसान ऐसे नहीं होंगे जो ट्रैक्टर खरीद सकें। बाकी ऐसे हैं जिन को छोटे छोटे औजारों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इन छोटे औजारों में सुधार करके इनको किसानों की आसानी से उपलब्ध करने की व्यवस्था करना आवश्यक है। सरकार का कर्तव्य है कि तीसरी योजना के काल में इन ऐसे छोटे छोटे औजारों को बनाने की योजना चलावें ताकि ये औजार किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सकें। कम्युनिटी ब्लाक्स में प्रदर्शन के लिए ऐसे औजार रखे जाते हैं लेकिन पैसा दे कर खरीदने की लिये ऐसे औजार नहीं हैं। मैं यह बात अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। तो इस तरह किसानों के हित के लिए दो तीन मुख्य बातें हैं, औजारों में सुधार करके उनकी उपलब्धि का प्रबंध करना, सिंचाई सस्ती करना और किसान को उसकी पैदावार का उचित मूल्य मिले इसकी व्यवस्था करना। किसान उस समय बड़ा हतोत्साह होता है जब वह प्रकृति का सामना करने के बाद अपनी पैदावार को ले कर बाजार में जाता है और उसका उसे उचित मूल्य नहीं मिलता है, जिसके बदले में वह नए औजार, फर्टिलाइजर आदि खरीदना चाहता है ताकि पदाबार बढ़ा सके।

पहली लोक सभा के समय से हम लोगों के जो गांवों से आते हैं और जो किसान हैं, जो किसानी जानते हैं यद्यपि अब राजनीति में आने के कारण अपने हाथ से खेती नहीं कर सकते, इस बात पर जोर दिया है कि जब तक किसान की पैदावार के लिये मूल्य निर्धारण नीति स्पष्ट नहीं होगी, और जब तक उसको व्यवसाइयों के शोषण पर छोड़ा जाता रहेगा तब तक किसान अधिक उत्पादन करने के लिए उत्साहित नहीं होगा और उसकी कठिनाइयां बढ़ती चली जाएंगी।

दो दिन पहले इस डिमांड पर जो बहस हुई उस को सुन कर कुछ आशा बंधी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि सरकार यह विचार कर रही है कि खेती में जो लागत लगती है उसको ध्यान में रख कर किसान की पैदावार का मूल्य निर्धारित किया जाए। लेकिन हमें ये बातें बहुत दिन से सुनते चले आ रहे हैं। सरकार को लागत आसानी से मालूम हो सकती है। पहले सरकार के पास उत्तर प्रदेश की तराई में राजकीय का फार्म अपना था जो अब वहां की रूरल यनिवर्सिटी को सौंप दिया गया है। इसके अलावा सरकार के पास सूरतगढ़ फार्म है। इनके खर्चे से सरकार अनुमान लगा सकती है कि कृषि से उत्पादन करने में कितनी लागत लगती है। सरकार को इस बारे में इतना उदासीन नहीं रहना चाहिए। खेती देश का महत्वपूर्ण उद्योग है, न केवल जनसंख्या के लिहाज से बल्कि इस का जो राष्ट्रीय आय में योग है उसके हिसाब से भी।

हमने देखा कि जब किसान अपनी पैदावार गतवर्ष बेचने गया तो बहुत सस्ती बिकी लेकिन इस वक्त उस पैदावार का मूल्य कितना बढ़ गया है। इस से स्पष्ट है कि देश में जो सरकार की मूल्य निर्धारण की नीति है उसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। खेती की पैदावार का मूल्य निर्धारण कास्ट आफ प्रोडक्शन का विचार करके किया जाना चाहिये, साथ ही वितरण में भी सरकार को बीच में आना चाहिये। परसों विरोधी पार्टियों के कुछ सदस्यों ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने में सरकार प्रयत्न करे लेकिन वितरण में सरकार बीच में न आवे अन्यथा नुकसान होगा। मैं कहता हूं कि सरकार गल्ले का भी व्यवसाय कर सकती

है यदि वह अन्य चीजों का व्यवसाय कर सकती है। यह देश के ८० प्रतिशत किसानों की समस्या है। सरकार को थोक गल्ला खरीद कर अपना स्टाक बनाना चाहिये। वितरण के लिये सरकार छोटे मोटे व्यवसाइयों का सहयोग ले सकती है। मेरा सुझाव है कि सरकार को खाद्यान्न में स्टेट ट्रेडिंग करना चाहिये। जिस तरह अभी हाल में भाव बढ़े हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को खाद्यान्न में स्टेट ट्रेडिंग अवश्य करना चाहिये। खाद्यन्न का स्टेट ट्रेडिंग उतना ही आवश्यक है जितना अन्य पदार्थों का। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस काम को अपने हाथ में ले।

एक विषय जिस में राष्ट्र को और सरकार को काफी सफलता मिली है वह चीनी और गन्ने का उत्पादन है। इससे केवल देश की खपत के लिये ही चीनी पैदा नहीं हुई बल्कि विदेश को भी चीनी भेजी गयी जिससे हम को ३२ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा गत वर्ष प्राप्त हुई। यदि सरकार सचेत रहती और भूत पूर्व कृषि मंत्री दूसरी प्रकार की नीति न चलाते तो गन्ने का उत्पादन काफी होता और हम चीनी का ज्यादा निर्यात कर सकते क्योंकि देश में चीनी की पैदावार ज्यादा होती। इस सम्बन्ध में अधिक न जाकर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस समय सरकार की चीनी के सम्बन्ध में जो नीति है उससे इस उद्योग की बहुत वृद्धि हो गयी है। लेकिन मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। खंडसारी के नाम पर देश का बड़ा नुक्सान हो रहा है। खंडसारी में चीनी ३ प्रतिशत कम पैदा होती है इससे देश का नुकसान होता है। फैक्टरियों में चीनी का उत्पादन गन्ने के अनुपात में ९–८ प्रति शत है तो खंडसारी से जो चीनी बनती है उसका उत्पादन गन्ने के अनुपात में ६–७ या ६–८ होता है। अगर वह गन्ना खंडसारी उद्योग में जाता है तो तीन प्रतिशतः की चीनी की राष्ट्रीय हानि होती है। खंडसारी से किसानों को लाभ नहीं न सरकार का लाभ है बल्कि थोड़े से लोगों को जो लखपती हैं जिनके पास पैसा है, लाभ होता है। इस तरीके से हमारी सरकार, समाज और गन्ना उत्पादक सब सर्वचित रह जाते हैं। इससे सरकार को कोई ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिससे कि खंडसारी कम हो। या तो खुद किसान गुड़ बना कर खायें या गन्ना फैक्टरियों में जाय जिससे किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिल सके और उन को उचित लाभ हो सके। इस के साथ चीनी को विदेशों में एक्सपोर्ट करने में भी आसानी होगी।

दूसरी बात जो सरकार को मालूम ही है वह है तेलहन के सम्बन्ध में। कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ आयल सीड्स की पैदावार भी बढ़ानी है। पिछले दो सालों में आयलसीडस के उत्पादन में जो कमी हुई है उस की तरफ सरकार को विशेष रूप से ध्यान दे कर के उसे ऐसी स्थिति में लाना है जिससे इसका ऐक्सपोर्ट फिर बढ़ जाये।

इसी तरह पाउल्टरी और फ्रूट प्रीजरवेशन जैसी छोटी छोटी बातें हैं जिनके जरिए छोटे मोटे किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। यहां पर सीजन में तो बहुत फल पैदा होता है उन फलों को सुरक्षित रख कर छोटे मोटे किसान फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी आय को बढा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती लक्ष्मी बाई। दस मिनट में माननीय सदस्य को अपना भाषण समाप्त कर देना है।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमारा देश भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। यह पर ८० प्रतिशतः लोग गांवों में रहते हैं और खेतीबाड़ी का काम करते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यहां की इंडस्ट्री है और जितनी भी अन्य इंडस्ट्रीज इस देश में हैं उनकी यह मदर इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

से नेशनल इनकम ४० परसेंट आती है, ६ परसेंट नेशनल इनकम फैक्टरीज़ और माइंस से आती है। इस देश में ८० परसेंट लोग खेतों में काम करते हैं। ५ एकड़ से १० एकड़ तक ज़मीन रखने वाले किसान ५२ परसेंट होते हैं, १० एकड़ से ५० एकड़ तक ज़मीन रखने वाले १० परसेंट किसान होते हैं और बड़े काश्तकार जो कि ५० से १०० एकड़ रखने वाले हैं वह केवल २ परसेंट हैं। ५० से १०० एकड़ तक रखने वाले काश्तकार २ परसेन्ट से ज्यादा नहीं हैं। इन किसानों की कैसी सोचनीय अवस्था है ज़रा इसका भी मुलाहिज़ा किया जाय। इन ५२ परसेंट में से ३ परसेंट को पानी मिलता है बाक़ी को नहीं मिलता है।

आज इस देश को स्वतन्त्रता प्राप्त किये सोलह वर्ष बीत चुके हैं। देश में राष्ट्रीय सरकार कायम है। तदो प्लांस गुज़र चुके हैं, तीसरा जारी है लेकिन दरअसल में अभी तक हम अपने उन करोड़ों ग़रीब किसानों तक पहुंचे नहीं हैं। बजाय इस के कि हम अपने देश के किसानों की हालत बेहतर बनाते हमारी नज़र बाहर के मुल्कों की तरफ़ रहती है और वहां से अनाज मंगाने में हम करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। हमारा यह जो विभाग है इसमें एग्रीकल्चर तो कमज़ोर बन गया है और फुड इम्पोर्टेंट हो गया है। बजाये इसका नाम एग्रीकल्चर और फूड होने के फूड ऐंड एग्रीगकल्चर हो गया है जैसे कि सीता, राम होना था लेकिन राम, सीता बन गया। एग्रीकल्चर को प्रधान और फूड को उप धान होना चाहिये था लेकिन उसका उलटा हो गया है एग्रीकल्चर को उन्नत किया जाये ताकि कृषि उत्पादन बढ़ सके लेकिन उधर ध्यान न देकर बस बाहर से फुड इम्पोर्ट करने की ओर सरकार की नज़र लगी हुई है।

हमारे पास ३५७ करोड़ रुपये का बजट था। उस में से १८३ करोड़ का बाहर के मुल्कों से फूड परचेज़ कर दिया गया है और ३५ करोड़ रुपया शिपिंग वगैरह में जाता है। उस अनाज के यहां आने के बाद यातायात, गोदाम और एडमिनिस्ट्रेशन में औसत १ मन अनाज के यहां लाने में १० रुपया पर मन खर्च होता है। यही दस रुपया पर मन जो कि इस तरह से सरकार ने उसके यहां लाने आदि में खर्च किया, वह किसानों को उनकी फसल के उचित दाम अर्थात् इतना बढ़ा कर देती तो उनको प्रोत्साहन मिलता और वह निश्चित रूप से फसल उत्पादन में वृद्धि करके दिखलाते। हमारे यहां आंध्र-प्रदेश के किसानों को चावल के लिये १६ रुपये पर मन का भाव दे रहे हैं अगर यही १० रुपया उन को बढ़ा दिया जाय तो किसान उससे प्रोत्साहित होंगे और वे और भी जान तोड़ कर देश को अन्न के मामले में स्वावलम्बी बनाने के लिये प्रयत्न करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारा उत्पादन हर साल घटता ही जा रहा है।

अभी दो दिन की बात है कि जब कुछ भाइयों ने मंत्रालय की इस के लिये आलोचना की वह अभी भी काफ़ी गल्ला बाहर से मंगा रहा है और कहा गया कि ऐसा होना हमारे लिये शर्म की बात है तो उस पर टामस साहब ने कहा था कि हम बाहर से जो देश के अन्दर अनाज मंगा रहे हैं यह हमारे लिये कोई शर्म की बात नहीं है क्योंकि हमें इस बात की शान है कि हम यहां से आयलसीड्स और आयल केक्स का ऐक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब मेरा टामस साहब से कहना है कि अगर तूफान आ जाय, शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कर बैठे और हमारे जहाज़ डुब जाते हैं और बाहर से अनाज आना बन्द हो जाता है तो हम अपने देशवासियों को क्या सिखलायेंगे क्या उन अवस्था में हम उन्हें आयलसीड्स और केक्स खिलाने वाले हैं? आखिर आप इस दिशा में क्यों नहीं सोचते कि किसानों

को अधिक अन्न उगाने के लिये सभी संभव प्रकार से प्रोत्साहित किया जाय ? आप के पास है ३५७ करोड़ का कुल बजट है । उसमें से कुल २१८ करोड़ रुपया इम्पोर्टेड अनाज की क़ीमत और उसके यहां लाने में शिपिंग आदि में खर्च हो जाता है । इस तरह से कुल आप के पास ३९ करोड़ रुपया ही बच पाता है । २१८ आप की कमेटियां हैं जिनमें कि कुल ३३१७ मैम्बर्स हैं । अब अगर साल में एक एक कमेटी एक एक दिन के लिये भी बैठे तो साल के सात महीने तो गुजर ही जाते हैं । तीन महीने संडे और दूसरी हौलीडेज में निकल जाते हैं । केवल दो ही महीने का समय बचता है जो कि एग्री कल्चर की तरक्की करने में खर्च किया जा सकता है । आप के पास टाइम ही क्या बचता है जो आप इस देश के किसानों को अधिक अन्न उगाने के लिये जरूरी हिदायतें व सलाह दे सकें, ऐक्सपर्ट ट्रेनिंग दे सकें । हमारे किसान बड़े ही मेहनती होते हैं और अगर सरकार उनको जरा भी सलाह व प्रोत्साहन दे तो वह फसल बढ़ा सकते हैं । लेकिन जैसा मैंने कहा शासन की निगाह तो बाहर के मुल्कों की तरफ़ ही लगी रहती है और वहां से अन्न मंगाने में वे बहुत अधिक रुपया खर्च कर डालते हैं और बाद में न तो उनके पास पैसा ही अधिक बचता है और न समय ही बच पाता है ।

आज इस देश के किसान बड़े असन्तुष्ट हैं । उनको उनकी फसलों के उचित भाव नहीं मिलते हैं । उनकी दैनिक आवश्यकता की चीजें उनको बहुत मंहगी क़ीमत पर उपलब्ध हो पाती हैं। उनको उनकी मेहनत का उचित रिटर्न नहीं दिया जा रहा है । मैं एक खतरे की बात बतलाना चाहती हूं कि आगे चल कर जितना अन्न पैदा हो रहा है वह भी कम हो जायगा । अब एग्रीकलचर का काम ऐक है कि वह एक आदमी के करने से नहीं बनता है । उस काम में पोता, दादा और सारे परिवार को जटना पड़ता है, दिन रात उनको काम करना होता है, उनको जरा भी आराम व छुट्टी नहीं मिल पाती है । उनको राइस और गेहूं बिलकुल समय पर उगाना पड़ता है और समय पर ही उसको काटना भी पड़ता आज चूंकि उनको उनकी मेहनत को उचित क़ीमत नही मिलती है इसलिये आपको कोई किसान ऐसा नहीं मिलेगा जो कि अपने बच्चे को एग्रीकल्चर में डालना चाहेगा । आपको इस देश में कोई किसान आज ऐसा नहीं मिलेगा जो कि अपने बच्चे को किसान बनाना चाहता हो । अब देश के लिये खतरा नहीं तो और क्या है ? वह तो सोचते हैं कि अगर वह चपड़ासी भी बन गया तो मजे में रहेगा । ८०-९० रुपये महीना मिलेगा । दफ्तर में दस बजे से चार बजे तक की हाजिरी बजानी होगी । किसानों के प्रति हमारी उपेक्षा की ही नीति का यह परिणाम हमें देखने को मिल रहा है ।

शहरों में बड़ी बड़ी फैक्टरियों बन रहीं हैं । माल बाहर जा रहा है लेकिन किसानों की खेती के लिये जो औजार एम्पलीमेंट्स आवश्यक हैं वे औजार यहां बना कर उनको सुलभ नहीं किए जाते हैं । जब उनको हम आवश्यक सुविधायें व प्रोत्साहन प्रदान नहीं करते हैं तो हम यह कैसे आशा कर सकते हैं कि वे देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ायेंगे ?

अनाज के भाव बढ़ अवश्य हैं लेकिन किसानों को उस का लाभ नहीं मिला है । उस का लाभ तो व्यापारी वर्ग को मिलता है । यहां दिल्ली में पिछले साल जहां गेहूं का भाव १८ रुपये प्रतिमन था वहां इस साल बाजार में गेहूं २८ रुपये मन मिल रहा है । गेहूं का दाम डबल हो गया है । क्या मंत्री महोदय को मालम नहीं है कि वह कितना बढ़ गया है । लेकिन यह मनाफा किसान को नहीं मिल रहा है । आन्ध्र प्रदेश में चावल के एक मन के लिए जो १९ रुपये दिये जाते हैं, उन में से किसान को सिर्फ १६ रुपये मिलते हैं और बाकी मिल वालों को मिलते हैं । देश के अन्य

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

क्षेत्रों में तरक्की हो रही है, लेकिन किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। दूसरे लोगों के लिये घर बन रहे हैं। वे साफ सुथरे सफद घरों में रहते हैं, उन के बच्चे पढ़ते हैं, उन के लिये पले-ग्राउन्ड्स हैं, सब कुछ है, सबसिडी है। लेकिन गांवो के एग्रीकल्चरल लेबर के नसीब में य चीजें नहीं हैं। आज कल उनको लेबर के बदले में अनाज नहीं दिया जाता है, बल्कि पैसा मिलता है जिस का परिणाम यह है कि अ जब अकाल होता है या अनाज की कमी होती है, तो व अनाज नहीं ले सकते हैं। जहां तक फयर प्राइस शाप्स का सम्बन्ध है, वे सिटीज और टाउन्ज में ही होती हैं, गांवों में नहीं होती हैं। आज किसानों और एग्रीकल्टरल लेबर के पास कुछ भी नहीं है। इसलिए व रोयें नहीं, तो क्या करें ?

मैं सरकार को बताना चाहती हूं कि आज किसान उस से बहुत नाराज हैं। मैं उस की निन्दा नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं साफ तौर पर बता देना चाहती हूं कि किसान हम पर नाराज हैं, वह हमारे खिलाफ है। जो उद्योग में काम करता है और ३५० रुपये महीना पाता है, गवर्नमेंट उस के लिये खर्चा देती है, घर बनती है सबसिडी देती है, पानी, लाइट और शूगर देती है। इसी कारण गांवों के लोग शहरों की ओर आते जा रहे हैं और परिणाम यह है कि जमीन सिर्फ बुढ़ू और अपढ़ लोगों के पास रह गई है।

मैं आप को बताना चाहती हूं कि खेती का काम बहुत सांइटिफिक काम है। उस में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ज्यादा पानी न हो, ज्यादा तूफान न हो, वक्त पर फसल काटी जाये, वक्त पर फसल बोई जाये, आदि। लेकिन सरकार इस सांटिफिक और सूनिसिटिव इंडस्ट्री को भूल गई है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपने प्लान्ज में परिवर्तन करे।

अध्यक्ष महोदय : माननीया सदस्या अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती लक्ष्मी बाई : सरकार इर्रीगेशन की फसिलिटीज दे रही है, लेकिन हम देखते हैं कि किसी भी प्रोजक्ट का जो एस्टीमेट बनाया जाता है, हर साल वह बढ़ता रहता है और बढ़ते बढ़ते दुगना तिगुना हो जाता है। नागार्जुन सागर का एस्टीमेट पहले २२ करोड़ रुपये का बना था, लेकिन अब वह बढ़ते बढ़ते, १४० करोड़ रुपये का हो गया है, जब कि अभी तक उस से पानी नहीं मिल रहा है। वह तो हमारे लिये एक ह्वाइट एलीफेंट हो गया है। एस्टीमेट का तो यह हाल है कि वे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन इस की तुलना में टारगेट्स कम होते जाते हैं, लो होते जाते हैं।

जहां पर राइस की शार्टेज है—कहा जाता है कि चार मिलियन टन की कमी है, वहां पर लोगों को ह्वीट मिलना खिलाना सिखाना चाहिये। बरसों इस सदन में कहा गया था कि माननीय सदस्य सुझाव नहीं देते। सुझाव तो बहुत दिये जाते हैं, लेकिन सरकार उन को इम्पलीमेंट नहीं करती है। सरकार को लोगों के खाने का तरीका बदलना पड़ेगा, ग़िज़ा को बदलना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरा सुझाव नहीं सुनतीं कि अब आप अपना भाषण समाप्त कर दें, तो मिनिस्टर साहब आप का सुझाव कैसे सुनेंगे ?

श्रीमती लक्ष्मी बाई : आपने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया। मैं दो तीन सुझाव देना चाहती हूं। मैं कहना चाहती हूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत इम्पार्टेंट है। इस से दुनिया बनती है। ब्रह्मदेव को भी भोग चढ़ाने के लिये भी अन्न चाहिए। इस में चोरी होती है, इस में वस्टेज होता है। मैं किसान के घर से आती हूं। मैं डिपार्टमेंट को कहना चाहती हूं कि इतने सालों के बाद भी उस का अन्दाजा

ठीक नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि पांच छः साल के बाद वह दिन आयगा अगर मैं जिन्दा रही, तो मैं वह दिन देख लूंगी—जब सरकार को घर घर में जा कर यह कहना पड़ेगा कि चलो, एग्रीकल्चर में जाओ, हम सबसिडी दग, हम घर बना कर दग, वह दिन आयगा। वह रेवोल्यूशन आ रहा है। मैं आप को उस की सूचना दे रही हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने माननीय सदस्या को अपना भाषण समाप्त करने के लिए कहा है लेकिन वह सुनती नहीं हैं। वह खद ही कोई उपाय बताये कि मैं क्या करूं।

श्रीमती लक्ष्मी बाई . आप ने मुझे टाइम दिया है, यह आप की बहुत मेहरबानी है।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे मिनिस्टर अच्छे हैं, लेकिन उन में ताकत नहीं हैं, शक्ति नहीं है, उन में गट्स नहीं हैं। उन को हाउसिंग मिनिस्ट्री को कहना चाहिये कि जब एग्रीकल्चर से चालीस परसेन्ट इनकम होती है, तो वह उस को क्यों नहीं कुछ देती है और वह किसानों के लिये हाउसिंग की व्यवस्था क्यों नहीं करती है। मिनिस्टर साहब में यह कहने की ताकत नहीं है। खामोश बैठे रहने में एटीकेट और कल्चर समझ कर वह कुछ भी नहीं कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती चावदा—एक और लेडी मेम्बर। ये दोनों लेडी मेम्बर्ज इस सेशन में नहीं बोली हैं।

श्रीमती चावदा (वनस्कंठा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर आप ने मुझे बोलने का जो अवसर दिया है, उस के लिए मैं आप की और इस सदन को आभारी ।

खाद्य और कृषि वर्तमान समय में देश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बने हुए हैं। समस्यायें तो हजारों हैं और उन का अपना स्थान है, परन्तु कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषयों में अन्न एक ऐसा विषय है, जिस से देश का हर व्यक्ति हर क्षण प्रभावित होता है। इस समय जिस गति से अन्न की समस्या गम्भीर होती जा रही है, वह बहुत चिन्ता की बात है।

सदन के माननीय सदस्यों ने भी इस समस्या पर विभिन्न दृष्टियों से विचार किया है और अपने अपने सुझाव रखे हैं। परन्तु खाद्यान्न और उस के उत्पादन, वितरण, विक्रय तथा पूर्ति के जितने भी पहलू हैं, उनमें बद्धिमत्तापूर्ण, व्यापक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

पिछले पन्द्रह वर्षों में सरकार के खाद्यान्न उत्पादन सम्बन्धी जितने आंकड़े सामने आये हैं, उन में उत्पादन में वृद्धि बताई गई है। परन्तु पिछले वर्ष चाहे जो भी कारण रहे हों, चावल के उत्पादन में एक दम से २८ लाख टन की कमी हो जाना बहुत गम्भीर बात है। वैसे भी देखा जाए, तो पिछले दस वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में जितना रुपया लगाया गया, जितने सिंचाई के साधन प्रस्तुत किये गये, उन के मुकाबले में जो भी उत्पादन बढ़ा है, वह कम है।

सरकारी रिपोर्ट में खाद्यान्न में पैदावार की कमी के लिये कई बार भगवान को दोष दिया गया है। यह बड़े मजे की बात है कि जब फसल अच्छी होती है, तो अनेक प्रयत्नों की सफलता का गुण गाया जाता है और जब फसल खराब हो जाती है, तो वर्षा नहीं हुई वर्षा ज्यादा हो गई, पाला पड़ गया, आदि बहुत से कारण ढूंढ़ लिए जाते हैं। सच तो यह है कि अन्न उपजाने की सारी कार्यवाही गलत तरीके से होती है। हमारे देश के किसानों में अपनी भूमि से बड़ा मोह होता है और अपनी लहलहाती फसल को देख कर वह मस्ती से झूम उठता है। इस से बढ़ कर खुशी की बात उस से के लिए और कोई नहीं होती। यदि वास्तव में उचित रीति से उसकी सहायता हो और कृषि

[श्रीमती चावदा]

के उन्नत तरीकों की उपयोगिता में उसकी रुचि पैदा की जाये, तो वह अपनी फसल बढ़ाने में अपनी जान भी लगा देगा । परन्तु यहां तो काम ही उल्टा है । किसान को सहायता तब मिलती है, जब उसे उस की जरूरत नहीं होती। समय पर बीज नहीं मिलता, समय पर बैल, खाद और पैसा आदि नहीं मिलता। समय पर सिंचाई की सुविधायें प्राप्त नहीं होतीं। इन सब को पाने के लिये उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, रिश्वत भी कभी कभी देनी पड़ती है। इन परेशानियों के कारण उसे उन्नति के तरीकों में रुचि नहीं रहती और अधिक अनाज उपजाने का उस का उत्साह मारा जाता है। वह अपनी मजबूरियों के आगे झुक कर निराशा का जीवन बिताने को मजबूर हो जाता है। चाहे जो हो यह बात स्वीकार करनी होगी कि कृषि प्रशासन को किसान से न तो सहानुभूति है और न उसके लिए सक्रिय सहायता का भाव ही है। उस के बिना कृषि उत्पादन बढ़ नहीं सकता चाहे देश कितने करोड़ रुपये वह दे। हम अपनी खाद्यान्न की पूर्तिक भी नहीं कर सकेंगे।

अतएव मेरा सुझाव है कि किसान के लिए समस्त सुविधायें इस प्रकार से उपलब्ध कराई जायें कि वह उन्हें आसानी से प्राप्त कर सके। गोष्ठियों और फिल्मों, सम्मेलनों तथा नमायशों द्वारा उसे खेती के प्रति नई दिशा दी जानी चाहिये ताकि उत्पादन बढ़ना वह अपना कर्तव्य समझे। फिल्में वगैरह दिखाई तो जाती हैं लेकिन जहां किसान ज्यादा रहते हैं वहां नहीं दिखाई जातीं और देहातों तक वे फिल्में पहुंचाई जानी चाहियें। इस तरह से किसान उन से पूरा फायदा नहीं उठा सकता है।

अभी तक आम तौर पर जो किसान सम्मेल या कृषि गोष्ठियां होती हैं उन में अधिकतर ऐसे लोग भाग लेते हैं जो वास्तव में स्वयं खेती करने से कोई प्रयोजन नहीं रखते या ऐसे लोग होते हैं जो राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसानों के नेता बन जाते हैं। वे किसी प्रकार से उत्पादन बढ़ाने या कृषि की तरक्की में सहायक नहीं होते हैं। वास्तव में किसान ही ऐसे आयोजनों में भाग ले सकें, इस का प्रयत्न होना चाहिये।

बड़े बड़े बांध तो बहुत भारी संख्या में बन चुके हैं और बन भी रहे हैं परन्तु अब छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। गांव और खेतों में पानी पहुंचाने के लिये जो छोटी छोटी सिंचाई योजनायें होती हैं उन में देहाती लोग बहुत भारी तादाद में मिल कर काम करते हैं। मेरी कांस्टिटुएंसी में आज भी लोग इस तरह से सिंचाई करते हैं, सिंचाई से लाभ उठाते हैं और उत्पादन ज्यादा बढ़ाते हैं।

गांवों में जो ग्राम सेवक रखे जाते हैं उन की संख्या बहुत कम है। गांवों में ग्राम सेवकों की संख्या को ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिये। ग्राम सेवक को खेती की उन्नति के कार्यक्रम में विशेष रूप से लगाया जाना चाहिये। अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिये प्रत्येक जिले की अलग अलग योजना बने और यहां के साधनों तथा आवश्यकताओं को तत्काल पूरा करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

12.55 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

उत्पादन बढ़ाना, यह तो आवश्यक है ही परन्तु देश में अनाज का संकट वितरण और महंगाई के कारण अधिक गम्भीर हो गया है। एक रुपये का सवा सेर गेहूं और एक रुपये का तीन पाव चावल बिकना हमारे लिए शर्म की बात है। आखिर यह महंगाई कहां जा कर रुकेगी ? हम विदेशों से प्रति वर्ष भारी मात्रा में अनाज मंगाते जा रहे हैं। परन्तु उससे भी समस्या हल नहीं होती।

वास्तव में अनाज का वितरण गलत तरीके से हो रहा है । देश के एक भाग से दूसरे भाग में अनाज ले जाने के लिए कोई रोक नहीं होनी चाहिये । प्रत्येक मनुष्य को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के योग्य अनाज प्राप्त करने का अवसर होना चाहिये । परन्तु इस संकटकाल में अनाज के व्यापारियों ने अनाज के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में सहायता नहीं दी है । इसलिए यह आवश्यक है कि सस्ते अनाज की अधिक से अधिक दुकानें खोल कर अनाज बेचने का प्रबन्ध किया जाय । इस से भाव बढ़ने से रुकेंगे । अब तो जरूरत इस बात की है कि अनाज के दाम बढ़ने से सिर्फ रोके ही न जायें बल्कि उन्हें नीचे गिराया जाय । सरकार ने अभी तक जितनी दुकानें खोली हैं वे बहुत कम हैं । छोटे छोटे दुकानदारों को भी कुछ सुविधायें दे कर उन से सस्ती दुकानें खुलवाई जायें ।

अनाज एकत्र करने की सरकारी नीति भी गलत है । बहुधा हजारों मन गेहूं सरकारी गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ जाता है या चूहे उसे खा जाते हैं । अनाज की इस बरबादी को सख्ती से रोका जाना चाहिये ।

देश में जिस समय अनाज की भीषण कमी हो तथा उसके कारण अनाज के दाम बढ़ रहे हों तो ऐसे मौकों पर सरकार को अपनी नीति पर कड़ाई के साथ अमल करना चाहिये । चोर बाजारी करने वालों को रोकने के लिए कदम उठाने चाहियें । मुनाफाखोरों और चोरबाजारी करने वालों को कड़े से कड़ा दण्ड देने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें ।

श्रीमती चावदा : दो तीन दिन इंतजार करने के बाद आज मौका मिला है । दो तीन मिनट और दे दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : दस मिनट हो गए हैं । इससे अधिक नहीं मिल सकता है ।

श्रीमती चावदा : अभी गेहूं के लिए जो नौ क्षेत्र बनाये गये हैं उन से हो सकता है कि गेहूं के वितरण में सरकार को सहायता मिले परन्तु इससे मुनाफाखोरों को भी आमदनी होगी । इसका कारण यह है कि जिस क्षेत्र में गेहूं कम होगा वहां बहुत से क्षेत्रों से गेहूं चोरी से जायगा और जो मुनाफाखोर हैं, वे इस में कमाई करेंगे । खाद्य सामग्री के यातायात पर नियंत्रण लगाने से मुनाफाखोरों को बहुत लाभ होता है । अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश से गुड़ के निर्यात पर रोक लगाई गई परन्तु उत्तर प्रदेश-राजस्थान सीमा पर प्रति दिन कई ट्रक गुड़ पकड़ा जाता है और बहुत सा तो निकल भी जाता है । मुनाफाखोरों और चौकियों पर स्थित पुलिस दोनों की आमदनी इस नियंत्रण से बढ़ गई है । इसलिए यह मान लेना गलत होगा कि गेहूं क्षेत्र बना देने से गेहूं की समस्या हल हो जायगी । इसलिए शासन से मेरा निवेदन है कि वह इन विषयों पर विशेष ध्यान दे । यदि वह जनता के हित को सर्वोपरि मान कर मुनाफाखोरों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं करता है तो जनता का विश्वास पूर्णतया खो बैठेगी ।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Lady Member must resume her seat. Shri Kappen.

Shri Kappen (Muvattupuzha): Sir, the mid-term appraisal of the third Plan brought to light three things: (1) The national income did not go up as expected. (2) The *per capita* income went down because of the growth of population. (3) Agricultural production went down contrary to expectations. From the report of the Ministry, it is seen that the index of agricultural production has gone down by 3:3 per cent and that of foodgrains has gone down by 2.8 per cent, while sugarcane production (in terms of

[Shri Kappen]

gur) has gone down from 10.1 million tonnes to 9.4 million tonnes. This is so in the case of almost all agricultural commodities.

The Government is casting the blame on the weather. But the question arises whether the weather alone is responsible for this lagging behind of the agricultural sector. Secondly, in this scientific age, when even the human brain is sought to be replaced by the robots, is it necessary for us to depend entirely on the weather? It is seen that the Government is giving price support for rice and wheat and it has been extended to *jowar* also. It is a heartening fact, but even there I do not find a steady policy on the part of the Government with regard to price support. Man is primarily selfish and when we want the agriculturist to produce more, he must feel that he is going to get the benefit out of it. So, I would request that this price support should be extended to all agricultural commodities.

One main handicap with regard to agricultural production in this country is that the production must come from millions of tiny farms. They are distributed over the far-flung villages of India and are cultivated by a subsistence level peasantry who have neither the capacity nor the means to adopt modern methods of agriculture. The smallness of the farms is perhaps the greatest handicap. A farmer owning 50 cents or even, say 5 acres of land cannot introduce any improvement in the methods of agriculture. What improvements can he introduce in the methods of agriculture? While a farmer in Texas or any other State in the United States has only to press a button to irrigate his 2000 acre farms, the poor agriculturist in India has to labour from morning till evening with his water-mill to irrigate his field of 50 cents. In those circumstances, how is it possible for our agriculturists to introduce any modern methods of agriculture? Therefore, if we want to be self-sufficient in food in this country, it is necessary that these tiny farms must be consolidated into viable units where mechanised production could be resorted to. Unless we do this, we are not going to have self-sufficiency in food in this country.

13.00 hrs.

The second handicap to agricultural production in this country is our method of cultivation. We want to cultivate everything in every place. If you take the case of United States you will find that they cultivate each crop in the soil which is best suited for it. A soil survey or soil testing on a national scale is conducted and the soil best suited for each crop is found out. That particular crop is cultivated only in that area. On the other hand, in our case that is not done. It is not only in agriculture that we do like this. We do the same thing in poultry or even in cattle breeding. We try to rear buffaloes in a place where they do not thrive. We try to rear cows in a place where they do not thrive. Like that, this method of agriculture where we cultivate everything in every place should be stopped at once. We must conduct a national survey, a nation-wide soil testing and find out which is the soil best suited for each crop. Every agriculturist, every farmer must be told what are the deficiencies in his farms, which are the ingredients that are lacking in his farms, and he must be persuaded and advised to put in the necessary fertiliser to the necessary extent so that the deficiency may be made good and the land made suitable for the cultivation of that particular crop.

The next most important thing is the supply of fertiliser, the necessary credit and agricultural equipments to

the agriculturists. We might say that we have got the C.D. and N.E.S. Blocks to make these supplies. But I have my own doubts whether these C.D. and N.E.S. Blocks are doing any real service to the agriculturists commensurate with the expenditure involved. It is a very doubtful question. The greatest difficulty with these N.E.S. Blocks is that a uniform pattern is given for the whole of India. India is a vast country full of diversity, diversity in everything, and to keep a uniform method of spending and scheming in such a country would be absolutely useless. I would, therefore, request that so far as the N.E.S. and C.D. Blocks are concerned, the officers and the advisory committee must be given a certain amount of discretion. There must be some flexibility so far as the spending and scheming are concerned. What is the purpose of including a large amount in the budget for rice production in a place where no rice can be produced and, at the same time, cash crops can be produced with advantage? Therefore, it is very necessary, in the interest of higher production, that the N.E.S. and C.D. Blocks are given a certain amount of flexibility and the officers and the committee are given the discretion to divert amounts for the production of particular crops.

Then comes the question of credit. It is true that the Reserve Bank of India is applying concessional finance for agricultural production. There also, what we find is, a uniform pattern is adopted for the whole of India. Therefore, this also does not produce the benefit which it ought to produce. For example, what is the use of giving short-term credit to a place where such cash crops as pepper or coconut are cultivated? So far as those crops are concerned, they require medium-term loans. More and more restrictions are now put on medium-term loans. This must change and we must supply the necessary credit to the agriculturists.

One word about the Delhi Milk Scheme and I shall close my speech. The Delhi Milk Scheme has been designed by the Government so as to help the public to get good quality milk. But, is it serving that purpose? Last year, the Director created an artificial scarcity of butter by keeping back 60 tons of butter costing Rs. 4 lakhs. That entire butter has been made rancid and useless. Questions after questions have been asked in this House and in the Rajya Sabha. The Minister has answered that an enquiry is being conducted into these matters. What has happened to that enquiry? Nobody knows. I think that has gone into cold storage. Another thing is, machinery worth crores of rupees have been given to that institution by friendly countries. They are not working properly because proper care is not taken. Just read the report of the Public Accounts Committee regarding this institution and you will find that very scathing criticisms have been made by the Public Accounts Committee saying that proper accounts are not kept, that pilfering is going on and that there is corruption. I would like to know what steps the Government are taking on this.

श्री बालकृष्ण सिंह (चन्दौली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आप ने मुझे अवसर प्रदान किया । कृषि इस देश का मुख्य उद्योग है और करीब ८० फी सदी लोग इस देश में खेती करते हैं । तब भी इस देश की खाद्य समस्या का समाधान नहीं हो सका है । यह वास्तव में बड़ा चिन्तनीय है । सरकार भी चाहती है कि उपज बढ़े और किसान भी चाहता है कि उस के खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो लेकिन सन्तोषजनक ढंग से प्रगति आ नहीं पा रही है । कमी कहां है यह एक विचारणीय प्रश्न है ।

खाद्य और कृषि मंत्रालय का भार जिन व्यक्तियों पर है उन का मैं बड़ा आदर

[श्री बालकृष्ण सिंह]

करता हूं । कृषि इस देश का मुख्य उद्योग है लेकिन सब से अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि कृषकों को हेय दृष्टि से देखते हैं वे लोग जो स्वयं खेती नहीं करते और कृषकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करते हैं । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट देखने से यह पता चलता है कि कमेटियों की भरमार है । केन्द्र से राज्य स्तर तक कमेटियों का तांता लगा हुआ है । यही नहीं बल्कि २०० से ऊपर कमेटियां कृषि विभाग में काम कर रही हैं । लेकिन मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यह जो कमेटियां हैं उन के काम का स्थान आकाश में है और किसान धरती पर है । किसानों की वास्तविक कठिनाइयों का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है । सरकार से मिलने वाली सुविधा उन को नहीं मिलती, और यदि मिलती भी है तो समय से नहीं मिलती ।

खाद्य के संकट का सामना तभी किया जा सकता है जब देश में अन्न की उपज बढ़े । आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि कोई एक या दो आदमी ही उपज का कीर्तिमान स्थापित न करें बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि समूचे देश में उत्पादन का स्तर ऊंचा हो । यह उपज तभी बढ़ सकती है जबकि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़े । आधुनिक ढंग के सस्ते कृषि यंत्र किसानों को उपलब्ध किये जायें । कृषि कार्य के लिए कृषि यंत्र और उपकरण हर किसान को आसानी से उपलब्ध किये जा सकें, सरकार को इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए ।

सरकार से मिलने वाली सुविधा किसानों को उचित तरीके पर आसानी से मिले, यह मुख्य काम है जिसे सरकार को करना चाहिए । इसमें सन्देह नहीं कि इस किस्म की व्यवस्था सरकार की ओर से होती है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है, दोष वहां है, वे अपना उत्तरदायित्व नहीं समझते । बोने के समय यदि बीज न मिला और जिस खाद की कमी खेती में है उसकी पूरक खाद न मिली और समय से पानी न मिला तो होगा क्या ? इसका परिणाम बड़ा भयानक होगा । राष्ट्रीय क्षति तो होगी ही साथ ही किसान की आर्थिक स्थिति भी खराब होगी ।

मान्यवर, देखने में ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन ये कृषि की बुनियाद हैं । इन में यदि सुधार हो जाये तो उत्पादन स्वतः बढ़ेगा और देश में अन्न का भंडार भर जायेगा । सिंचाई के साधन अपर्याप्त हैं और जहां हैं भी वहां उनकी व्यवस्था में दोष है । नहरों और ट्यूब वैलों के अधिकारी अपने को मालिक समझते हैं और किसान को हेय दृष्टि से देखते हैं । वे अपने को विशेषज्ञ समझते हैं और किसान की उपेक्षा करते हैं । मैं बड़ी नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश का किसान बड़ा नम्र और संतोषी है । वह भारतीय कृषि शास्त्र का ज्ञाता है । यह भारतीय कृषि शास्त्र कहीं किताबों में नहीं लिखा है, वह तो किसान के मस्तिष्क में है । वह नक्षत्र, मौसम आदि को देख कर कृषि की व्यवस्था करता है । किसान की उपेक्षा न कर किसान को अधिक सुविधा देने की आवश्यकता है ।

फसलों को कई रोग भी लग जाते हैं, जिससे बड़ा नुकसान हो जाता है । इनमें से कई रोगों का अभी सरकार की ओर से उपचार नहीं निकला है । मेरा सुझाव है कि फसलों के रोगों का इलाज सरकार की ओर से मुफ्त होना चाहिए । दैवी प्रकोप से भी अनेक बार फसल को नुकसान होता है । जहां ऐसा हो वहां सरकार को तकावी आदि देने की व्यवस्था करनी चाहिए । मैं अभी अपने निर्वाचन क्षेत्र से लौट कर आया हूं । वहां खरीफ की फसल को पुवारी रोग लगा । इसका सरकार के पास इलाज नहीं है । इसका इलाज अभी तक विशेषज्ञ नहीं निकाल

पाये हैं। इस रोग में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और धान की बाल नहीं निकलती। रबी की फसल में पाले से बहुत नुकसान हुआ है जिससे तमाम रबी की फसल खराब हो गयी है। ऐसे इलाकों को छूट मिलनी चाहिए।

कल डा० सिंह ने कहा कि कृषि के मजदूरों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान करने वाले हैं। लेकिन मैं निवेदन करूं कि कृषि के जो मजदूर हैं वे उद्योगों के मजदूरों से भिन्न अवस्था में हैं। उद्योग के मजदूर एक स्थान पर केन्द्रित होते हैं, जब कि खेती के मजदूर देश के सारे भागों में फैले हुए हैं। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग से नहीं हो सकती, उनको ग्राम स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। न उनके लिए अलग से अस्पतालों का प्रबन्ध किया जा सकता है, उनको पबलिक अस्पतालों में इलाज करवाना होगा। लेकिन मेरा सुझाव है कि कृषि मजदूरों के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए चाहे वे किसी जाति के हों। उनकी हालत में तभी सुधार हो सकता है जब कि कृषि में उन्नति हो और सरकार कृषि को इस देश की समृद्धि का स्रोत समझ कर उसकी उन्नति के लिए योजना बनाये। मान्यवर, इस देश में कृषि की उन्नति तभी हो सकती है और कृषि पर काम करने वाले मजदूरों की हालत में तभी सुधार हो सकता है, जब कि खेती लाभप्रद हो और उसमें आकर्षण पैदा हो। आकर्षण पैदा करने के लिए यह जरूरी है कि आप इस देश में आधुनिक ढंग के औजार बनावें। पिछली बार कृषि मंत्रालय से आश्वासन मिला था कि सस्ते किस्म के ट्रेक्टर बनाये जायेंगे। इन सस्ते किस्म के ट्रेक्टरों का इस देश में बनाया जाना बहुत आवश्यक है जिसको कि एक साधारण किसान खरीद सके। आज का पढ़ा लिखा नौजवान ट्रेक्टर से अपने खेत को जोत सकता है और उसमें लगे ठेले से अपना सामान ढो सकता है। वह हल और बैलगाड़ी चलाना पसन्द नहीं करता।

हमारे देश में सब से बड़ी कठिनाई यह है कि पढ़े लिखे नौजवान खेती से रुचि हटा रहे हैं और शहरों की तरफ भाग रहे हैं। अगर खेती को आकर्षक और लाभ प्रद न बनाया गया तो लोग खेती से हटते जायेंगे और खाद्य समस्या अधर में झूलती रह जायेगी।

मैं एक ऐसे क्षेत्र का रहने वाला हूं जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का पिछड़ा हुआ इलाका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों की जांच करने के लिए प्लानिंग कमीशन ने चार जिलों को चुना था। जो दशा उन जिलों की है वही उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी जिलों की है। लेकिन उन चार जिलों को ही अन्तरिम सहायता दी गयी। बाकी जिलों को सहायता नहीं दी गयी। यह अन्तरिम सहायता पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को मिलनी चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि कृषि मंत्रालय से जो भी सुविधा मिलने वाली है वह बिना किसी भेदभाव के पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को मिलनी चाहिये।

एक और सुझाव मैं देना चाहता हूं। योजनाओं और भाषणों का तो बड़ा पुलिंदा बन चुका है, इतना बड़ा कि उसमें समूची पृथ्वी लपेटी जा सकती है। आज तो ठोस काम करने की जरूरत है। इस काम में संसद् सदस्यों को आगे बढ़ना चाहिए। मेरा सुझाव है कि हर कमिश्नरी के स्तर पर संसद् सदस्यों की एक समिति बना दी जाये। ये स्वयं अपना कनवीनर चुन लें। जब सेशन बन्द हो जाये तो इन सदस्यों को अपनी कमिश्नरी में किसानों से सीधा सम्पर्क स्थापित करना चाहिए, उनकी कठिनाइयों का अध्ययन करें और उनको दूर करने की योजनायें बनावें और जब सैशन आरम्भ हो जाये, तो आकर किसानों की कठिनाइयों और अपने सुझावों का राज्य स्तर पर संकलन कर दें। जो गाड़ियां ब्लाक केन्द्रों पर हैं, उनके इस्तेमाल की इनको इजाजत दी जाये। और ये लोग

[श्री बालकृष्ण सिंह]

अपने काम में कोई टी० ए० या डी० ए० न लें। ऐसा करने से हर राज्य की खेती की स्थिति सामने आ जायेगी। हर राज्य की स्थिति अलग अलग है मंत्रालय उस पर विचार करे और विचार करने के बाद राज्य सरकार को सलाह दे। मैं समझता हूं कि इसमें सरकार का कुछ खर्च न होगा और केन्द्र और राज्यों को अपना कार्य करने में प्रकाश मिलेगा।

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बहस के सम्बन्ध में मैं केवल एक प्रश्न की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिससे मैं इस भवन की सहायता कर सकूं। इस प्रश्न के उत्तर से हम को मालूम हो सकेगा कि इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई हो रही है। मेरा प्रश्न यह है कि देश में बैलों की संख्या कितनी है जिन से कि इस समय खेती बाड़ी चल रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : साढे ६ करोड़।

श्री के० दे० मालवीय : जो आंकड़े इस समय हमें कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध हैं उन से मालूम होता है कि इस वक्त हमारे देश में ६ करोड़ ८० लाख कुल वर्किंग कैटिल हैं। इनमें बैल, घोड़े, खच्चर आदि सभी शामिल हैं। हम ने यह जानने की कोशिश की कि जो कैटिल पावर है उसमें बैल कितने हैं। इस वक्त करीब ३३ करोड़ एकड़ जमीन पर देश में खेती बाड़ी हो रही है। हमारे देश में जो ६ करोड़ ८० लाख वर्किंग कैटिल हैं, इन में करीब ५ करोड़ ४० लाख से ज्यादा बैल नहीं हैं जो कि हल चलाने के लिए उपलब्ध हैं। तो इस समय ढाई करोड़ जोड़ी बैल खेती बाड़ी के लिए उपलब्ध हैं। अब सवाल यह है कि क्या इतने बैल ३३ करोड़ एकड़ जमीन में खेती बाड़ी के लिए काफी हैं जिन के द्वारा हम प्रति एकड़ १८ या २० मन अनाज पैदा कर सकें।

प्लानिंग कमीशन की योजनाओं से मालूम पड़ता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के आखिर तक करीब १८ या २० हजार ट्रेक्टरों की योजना है, जो या तो बाहर से मंगाये जायेंगे या देश में ही बनाये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि हम सन् १९६८ या १९७० में जो ११० या १२० मिलियन टन की पैदावार करना चाहते हैं उसके लिए यह काफी होगा। क्या इतने बैल और इतने ट्रेक्टर खेती के लिए काफी होंगे ? और अगर नहीं काफी होंगे तो क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम संशोधन न कर के कृषि विभाग हमें काफी बुलक पावर या छोटे छोटे ट्रेक्टर दे सकेगा जिससे हमारी जरूरत पूरी हो सके और खेती का प्रश्न हल हो सके ? यह बहुत ही जरूरी और गम्भीर प्रश्न है।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : अगर कमी है तो इन चुनाव चिह्न वालों को भी शामिल कर लीजिये।

श्री के० दे० मालवीय : यह बहुत गम्भीर प्रश्न है और बिना इस के हल किये हुए खेती बाड़ी की समस्या हल नहीं हो सकती है।

यह भी मालूम होना चाहिए कि छोटी-छोटी जो भूमि है, एक एकड़, डेढ़ एकड़ या दो एकड़ के खेत में औसतन कितना ग़ल्ला पैदा होता है। प्रति एकड़ पर ८ मन भी ग़ल्ला पैदा हो पाता है या नहीं हो पाता है यह एक जानने की बात है और मैं चाहूंगा कि हमारे कृषि मंत्री यह बतलायें कि जो ४ करोड़ ४० लाख काश्तकारों के पास क़रीब ५ करोड़ ५० लाख ज़मीन है वह प्रति एकड़ कितना ग़ल्ला पैदा करते हैं और कितने बैल पालते हैं ? कितने बैल बड़े बड़े भूमिधरों के पास हैं ? जब तक कि इस तरीक़े का बंटवारा न हो कि छोटी चकबंदी में, छोटे चकों में कितना ग़ल्ला उत्पादन करने की योजना सरकार के पास है तब तक यह सम्भव नहीं होगा कि हम १२, १४

या १५ मन प्रति एकड़ ग़ल्ला उपलब्ध कर सकें। हमारे यहां जब तक बैल काफ़ी नहीं होंगे या उनको ट्रैक्टर्स से सप्लीमेंट नहीं किया जायगा तब तक हम अपना यह टार्गेट नहीं हासिल कर पायेंगे कि प्रति एकड़ पर १२, १३, १४, १५ या १६ मन ग़ल्ला उगा सकें। बस मैं इसी बात की तरफ़ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती (झज्जर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि की व्यवस्था के ऊपर कुछ कहने के पहले मैं कृषि पदार्थों के भाव के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

भावों के बारे में यह जानना चाहिए कि उसका परिश्रम कितना होता है। ऐसा शहरों में देखा जाता है, फैक्टरियों में देखा जाता है और दुकानों पर देखा जाता है। वह सब हिसाब लगा लेते हैं। जितनी बड़ी बड़ी फैक्टरियां हैं, बड़े बड़े मालिक हैं वे अपना मालिकाना भाग अलग निकालते हैं। कोई मैनेजिंग डाइरेक्टर के नाम से और कोई किसी और अन्य नाम से वह सब हिस्सा निकालते हैं और फिर उन में जो औज़ार हैं उन की सब की छीजन भी लगाते हैं यहां तक कि मकानों की घिसाई आदि भी लगाते हैं। यह सब लगाने के बाद उस चीज़ की क़ीमत लगाते हैं। मान लीजिये कि कोई एक कपड़े की मिल है तो उस कपड़े की मिल में भी यही चीज होती है। कपड़े की कीमत तय करते समय इन सब चीजों का हिसाब पहले लगा लिया जाता है। लेकिन इसके विपरीत एक किसान की क्या हालत है? एक किसान के लिये कोई टाइम नहीं है, कोई ओवरटाइम नहीं है और उसके लिए कोई काम के घंटे नियत नहीं होते हैं। जब यह आगे फसल बोने का मौका चौमासे में आयेगा तब उसमें अगर किसान को बोने में एक घंटे की भी किसी तरह से देरी हो जाय तो उस एक घंटे की देरी होने के कारण सारी खेती नष्ट हो जाती है। किसान को ऐन समय पर काम करना पड़ता है। किसान का आठ साल का बच्चा भी खेती में काम करता है और ७० वर्ष का बूढ़ा भी खेती में काम करता है। इस तरीके से हमारी माताएं और बहनें भी खेती के काम में लगी रहती हैं। उनकी मजदूरी की अनाज का भाव तय करते समय कोई भी गणना नहीं की जाती है। उनकी मेहनत का नाम को भी हिसाब नहीं रखा जाता ताकि अनाज का भाव लगाते समय उनकी मजदूरी का भी ध्यान कर लिया जाय।

अभी तीन दिन की बात है। बाजार में मनादी की जा रही थी कि सरकारी दुकानों पर जाकर साढ़े १४ रुपये मन गेहूं ले लो। क्या सरकार ने कोई यत्न किया कि भाव न गिरे? आखिर यह भाव गिराता कौन है? व्यापारी इन भावों को गिराता है। बाजार के अन्दर जो एक हाल है जहां पर कि सफेद चांदनी बिछती है, दो, तीन टेलीफोन लगे हुए हैं और वह टेलीफोन से पता लेते हैं कि बम्बई एक्सचेंज में यह भाव है और दूसरी जगह यह भाव है और उसको सुन कर वह भाव खोलते हैं। किसान जिसका कि सारा परिवार दिन रात परिश्रम करता है और गेहूं उगाता है उसको तो वह १४ रुपये प्रति मन का भाव देते हैं जब कि उसकी इस गढ़े पसीने की कमाई से अपने आप वह लोग १४ की जगह १६ रुपये लाभ उठाते हैं। इसलिए सेना से उतर कर दूसरा महकमा अगर हमारे राष्ट्र के लिए आवश्यक है तो खेती का ही है। इसलिए खेती की जो पैदावार होती है उस पैदावार के ऊपर सारी चीजें देखनी चाहिएं।

भाव नियत करते समय कह तो देते हैं कि अन्न का भाव कम करो। हम भी कहते हैं कि अन्न का भाव कम करिये और हमें आपत्तिजनक नहीं है लेकिन उसी के साथ यह भी तो देखना चाहिए कि किसान को जो भी चीजें उसकी दैनिक आवश्यकता की

[श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती]

मिलती हैं वह भी तो उसे सस्ते दामों पर और उचित मूल्य पर मिलें । उनके बढ़ते जा रहे दामों पर भी तो सरकार द्वारा नियंत्रण अथवा कोई अंकुश लगाया जाय लेकिन कोई नहीं कहता कि इनके भाव कम करो । जिनके हाथ में शक्ति होती है वे अपनी मनमानी करा लेते हैं और ज्यादा मूल्य मंजूर करवा लेते हैं । लेकिन किसानों के साथ में यह चीज नहीं है । यहां हमारे भाई किसानों के नाम पर आते हैं । यह उनका सौभाग्य है कि वे इस नाते यहां पर आये हैं । लेकिन मेरा कहना है कि जब तक उनको इसका अनभव नहीं होगा, जाती तजर्बा नहीं होगा तब तक वह इस काम को ठीक से नहीं कर सकते ।

इसी तरीके से गन्ने की बात है । गन्ने की खेती क्या है ? जब तक चोटी से लगा कर एड़ी तक का पसीना न आने लगे या जाड़े के अन्दर पाला पड़ते समय खेत के अन्दर पानी में खड़ा न हो जाय तब तक गन्ना पैदा नहीं होता परन्तु जिस समय गन्ना पैदा हो जाता है उस समय गुड़ बनाने के लिए शक्कर बनाने के लिये गांवों में कोल्हू सरकार चलने नहीं देती है । वह कहती है कि खंडसारी बन्द करो, कोल्हू बन्द करो । उसमें क्या बात होती है ? एक गरीब खेतिहर मजदूर रस भी पी लेता है और लाभ भी उठा लेता है अगर चीनी का इतना तबाव न हो तो मैं निश्चयपूर्वक इस बात को कह सकता हूं कि ७० फी सदी लोग गुड़, शक्कर को खाते हैं और गुड़ के अन्दर वह पौष्टिक तत्व हमें खाने को मिल जाते हैं जो कि चीनी में बाकी नहीं रहते हैं । उन किसानों की साल भर की कमाई वह सब की सब हड़प जाते हैं ।

एक गांव का मैं दृष्टांत देता हूं । हमारे कृषि मंत्री महोदय किसानों के बड़े हमदर्द हैं । उस छोटे से गांव में पुलिस वाले आये और कहा कि कोल्हू बन्द करो । तुम लोग कोल्हू न चलाओ । इस पर गांव वालों ने कहा कि आप हमें यह आश्वासन दीजिये कि जितना हमारा गन्ना है वह सब का सब मिल ले लेगी । उन्होंने जवाब दिया कि यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता है । जिन खेतों में बाढ़ का पानी खड़ा हुआ है उसके अन्दर का गन्ना जब किसान देना चाहते हैं तो उनको कहा जाता है कि हम तुम्हारा यह गन्ना नहीं लेंगे बल्कि हम तो अच्छा गन्ना लेंगे । अच्छा गन्ना किसानों से डंडे के जोर से ले लिया जाता है । सारा गन्ना उनका लिया जाता नहीं है । अगर आज किसी की हमदर्दी की आंखें हों तो जाकर जंगल में देख सकता है कि वहां गन्ने को खेत में जलाया जायेगा लेकिन उसको कोल्हू चला कर पेरने नहीं दिया जायगा । उसको शक्कर नहीं बनाने दी जायगी । बल्कि उल्टे उसे हानि पहुंचाई जाती है । इसी कारण से पैदा होने पर भी उसका भाव गिरता है और उस भाव के गिरने का ही यह कारण है कि आज किसानों की ऐसी दयनीय अवस्था है । इसी कारण वह बेचारे पीछे रहते हैं, अपने बालबच्चों को पढ़ा नहीं सकते क्योंकि वे उनकी पढ़ाई का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं । शहरों में हम लोग बैठे हुए हैं हम अपने बाल बच्चों को तो स्कूल और कालिजों में फ़ीस देकर पढ़ा लेते हैं लेकिन गांव का वह गरीब मजदूर किसान जो कि रात दिन खून पसीना एक करता है वह इस हैसियत में नहीं है कि वह स्कूल कालिज का २००–२५० का खर्चा अपने लड़कों का बर्दाश्त कर सके ।

गन्ने के भाव के बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था और आज उसे फिर दुहराना चाहता हूं कि आश्चर्य की बात देखिये कि यह लकड़ी जो कि चूल्हे में जलाने के काम में आती है, गीली लकड़ी, सूखी लकड़ी भी नहीं, वह गीली लकड़ी तो चार रुपये मन बिकती है और गन्ना जो कि रस देता है, रस से गुड़, शक्कर और चीनी बनती है उसके लिये हालांकि इतना जोर लगाया गया लेकिन तो भी उसका भाव दो रुपया प्रति मन नहीं गया । यह अचम्भे की बात तो है ही कि

चूल्हा फूंकने के लिए तो लकड़ी मिलती हैं ४ रुपये मन और जो गन्ना रस देता है, जिससे गुड़, शक्कर और चीनी बनती है उस के लिए दो रुपये से नीचे नीचे दाम दिये जायें । यह क्या किसानों का हित किया जा रहा है ?

एक माननीय सदस्य : किसानों के हित के लिये किया गया है ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : ज़रा इस काम को स्वयं करके देखिये तो पता लग जायेगा । पीछे को पसीना आ जायेगा ।

खेती करने के लिये दूसरी आवश्यक चीज गौ है और बैल से खेती करने की बात है । अब यह जो ट्रैक्टर्स से खेती करने की बात की जाती है तो क्या यह ट्रैक्टर्स खाद दे देंगे ? ट्रैक्टर्स क्या दूध देदेंगे, छाछ देदेंगे? इस तरह से जो विदेशी मशीनरी मंगाई जाती है और उस पर लाखों रुपये स्वाहा कर दिये जाते हैं और कहीं अगर उसका एक पुर्जा बिगड़ गया तो सारा काम ठप्प हो जाता है और खेत बगैर जेते खड़ा रह जायगा । इसलिए हमें अपने हलों को चलाने के लिए बैल चाहिएं । इसी तरह गौ भी खेती के लिए बहुत उपयोगी है । गौ हमें दूध देती है, घी देती है, गोबर देती है । वे हमें हड्डी, चमड़ा भी देते हैं । अगर इस देश को खाद्यान्न के मामले में स्वावलम्बी बनाना है तो गऊ हत्या कानून से बन्द करनी चाहिए । जब तक यह बन्द नहीं होगी तब तक यह राष्ट्र अपने पांवों पर खड़ा नहीं हो सकता । इसलिए यह करना बहुत आवश्यक है ।

दूसरी आवश्यकता जल की समुचित व्यवस्था करने की है । जहां पर नहरें नहीं जा सकती हैं वहां पर ट्यूबवैल्स लगा दें । मैं बतलाऊं कि हमारा यह रिवाड़ी और झज्जर का क्षेत्र है जहां कि आजकल खूब आंधी चलती है, खूब मिट्टी उड़ती है वहां चल कर हमारे भाई जल की व्यवस्था को देखें तो उनको पता चलेगा कि वहां क्या हालत है ? जल का प्रबन्ध करने के लिए वहां पर ट्यूबवैल्स चाहिएं ।

खाद्य के सम्बन्ध में मुझे कृषि मंत्री का ध्यान दिलाना है कि अन्न जो है, वह खाद्य है । "खाद्य" शब्द का अर्थ यह है कि "जो खाया जाये ।" वह खाद्य नहीं है, जिसको घृणा की दृष्टि से देखा जाये । मुर्गी पर ५०० रुपये इनाम और गौ पर ८० रुपये । आज यह तमाशे की बात हो रही है । मुर्गी देती क्या है ? पेशाब से पैदा होने वाली गन्दी चीज़ । हमारा इलाका तो भ्रष्ट कर दिया है ऐसे लोगों ने । वह पहले ही गर्म इलाका है, पानी का प्रबन्ध कम है और फिर कहते हैं कि खाओ अंडे खाओ अंडे । यह बहुत भद्दी बात है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि खाद्यान्न और दूध, घी, सब्जी आदि जितनी चीजें हैं, उन के उत्पादन पर ज़ोर दिया जाये । जोहड़ों में सिंघाड़े बोये जाते हैं । उनको कच्चा खाओ, पक्का खाओ, सब्जी बनाओ, शाक बनाओ, मिठाई बनाओ, जहां चाहे उनको डाल दो ।

मैं अधिक समय नहीं लिया करता हूं । यह मेरा स्वभाव नहीं है । मैंने आपके सामने किसान की कठिनाइयों का वर्णन किया है, ताकि हमारे माननीय और आदर-योग्य कृषि मंत्री विचार कर हम लोगों को कुछ लाभ पहुंचा सकें ।

श्री यमुना प्रसाद मंडल (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, सचमुच में यह प्रश्न आज देश के सामने बड़े गम्भीर रूप से उठ खड़ा हुआ है कि जिन बीस करोड़ लोगों के पास केवल तीन चार बीघे ज़मीन है और जो बारह करोड़ लोग एक-दम भूमिहीन हैं, उनकी ओर से क्या वकालत इस महान सदन में की जाये । इसलिये मैं सरकार को ज्यादा दोष नहीं देता हूं । दोष कहीं है । कारंटी-ट्यूशन का जो १७वां संशोधन आ रहा है, वह एक बड़ा मल प्रश्न है, क्योंकि उसके पीछे

[श्री यमुना प्रसाद मंडल]

यह भाव निहित है कि ज़मीन उन लोगों की होनी चाहिए जो लोग जोतते हैं। महात्मा विनोबा भावे ने इस सम्बन्ध में जो बड़ा काम किया है, भारत सरकार और राज्य सरकारों ने उसको जो सराहनीय सहयोग दिया है, वह बहुत स्तुत्य है। केरल और मद्रास के जो भूमि सुधार कानून हैं, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में आते आते उनके टुकड़े हो जाते हैं। इसलिए हमारी यह बड़ी सरकार, यह केन्द्रीय सरकार, चाहती है कि मूल सिद्धान्त को ठीक किया जाये और उसी में सुधार लाया जाये।

बहुत कुछ किया गया है और लाखों एकड़ जमीन ऐसी निकाली गई है, ताकि उन भूमिहीन लोगों को ज़मीन दी जा सके, जो ज़मीन के लिए भूखे हैं, जो ज़मीन के लिए तरसते हैं, जो चाहते हैं कि यदि आध एकड़ ज़मीन भी उनको मिले, तो वे उसमें पांच एकड़ के लायक उपज कर सकें।

मुझे थोड़ा सा सन्तोष हुआ, जब मैंने हिन्दी में छपी खाद्य कृषि मन्त्रालय की रिपोर्ट के पृष्ठ ३१ पर देखा कि भूमि सुधार के बारे में कृषि और खाद्य मन्त्रालय ने कितने काम किये हैं। काफ़ी काम देख कर तो प्रसन्नता हुई, मगर वह बात उसमें नहीं लाई गई कि संविधान का १७ वां संशोधन क्यों नहीं लाया जाता है? अगर उसमें देर लगाई जायेगी, तो करोड़ों मन अनाज खेत में ही रह जायेगा। ज़मीन जिन की होनी चाहिए, ज़मीन पर जो लोग हैं, जब तक सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, तब तक असल काम नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं कृषि और खाद्य मन्त्रालय का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि इस प्रश्न को सबसे पहले लिया जाये, तब कुछ काम हो सकता है, अन्यथा इस देश के जो ८० प्रतिशत लोग हैं, जो ४२ करोड़ लोग गांवों में बसते हैं, खेती और छोटे छोटे धंधों को छोड़ कर उनके पास और कोई काम नहीं है, जिनमें करीब करीब १२ करोड़ लोग तो काम करना चाहते हैं, मगर सरकार उनको काम नहीं दे सकी। हम को उस ओर तेज़ी से आगे जाना चाहिए।

मैं सरदार साहब को उन लोगों में गिनता हूं, जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं, जो १९७० को क्या होने को है, उसका प्रोग्राम भी बनने लगे हैं। ऐसी हालत में उनको इस बात का ख्याल रखना होगा कि "बुभुक्षितः किम् न करोति पापम्।" एशिया के बहुत से देशों में लोग भूखे हैं और वे हंगर और स्टार्वेशन के बीच में चल रहे हैं। जो पूरी कैलोरीज़ मनुष्य को मिलनी चाहिए, वे एशिया के अनेक देशों को नहीं मिल रही हैं। जापान ने ऐसा कमाल दिखाया है कि उसने भूमि का बंटवारा करके दुनिया को दिखा दिया है कि कम से कम और अच्छी ज़मीन रहने पर भी साउथ-ईस्ट एशिया के देश, एशिया के बिल्कुल मानसूनी देश, क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं फिर इस तरफ़ मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि जब तक भूमि-सुधार कानून पूरे रूप में और बड़े संयम के साथ आगे नहीं लाया जाता है, तब तक हमारी समस्या शीघ्र हल होने को नहीं है।

मैं आपका ध्यान फूडग्रेन्ज़ एन्क्वायरी कमेटी, १९५७ की रिपोर्ट की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसके पेज ४१ पर उसके चेयरमैन साहब श्री अशोक मेहता ने स्पैकुलेशन की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया था। जब कटनी के समय माल, अन्न, बाजार में आता है, तो ये बड़े बड़े साहूकार लोग बैंकों की सहायता से उसको ख़रीद लेते हैं। इसीलिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए भी एक आन्दोलन चल रहा है। उक्त मेहता कमेटी ने स्पैकुलेशन और स्पैकुलेटिव हैबिट्स की तरफ ध्यान दिलाया था और कहा था कि उस को खत्म किया जाये। उसके बाद भुवनेश्वर कांग्रेस का महान् रेज़ोल्यूशन पास हुआ और

मैं देखता हूं कि हमारी सरकार उस ओर बढ़ रही है। इसलिए निश्चय ही समय आ गया है कि जब हम को यह निश्चय करना होगा कि धान से चावल तैयार करने के और शूगरकेन से शूगर तैयार करने के जो साधन हैं, जो राइस और शूगर मिल्ज़ उनका सोशलाइज़ेशन कर दिया जाये।

अपनी रिपोर्ट में मेहता साहब ने पेज ८६ पर कहा था कि उन साधनों का सोशलाइज़ेशन होना चाहिए, समाजीकरण होना चाहिए और मैं देखता हूं कि सरकार उन बातों को दृष्टि में रख कर आगे बढ़ रही है।

मैं आपको एक खुशख़बरी सुनाना चाहता हूं कि जो शूगर मिल समस्तीपुर, बिहार में चल रही थी, उसको सरकार ने अपने अधीन कर लिया है और लोगों को यह बता दिया है कि अगर वे अच्छा इन्तज़ाम नहीं करेंगे, तो भुवनेश्वर कांग्रेस के प्रस्ताव उनके सामने हैं, फ़ूड एन्क्वायरी कमेटी, १९५७ की रिपोर्ट उनके सामने है, जिन्होंने बराबर इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे साधनों का सोशलाइज़ेशन किया जाये, समाजीकरण किया जाये। मैं समझता हूं कि इस बारे में अनेक लोगों की मत-विभाजन विभिन्नता हो सकती है और वे यह भी चाह सकते हैं कि इन को को-आपरेटिव सैक्टर में लाया जाये। हमें इसमें कोई उज्र नहीं है कि इन को को-आपरेटिव सैक्टर में लाया जाये।

एक बात की ओर सरकार का काफ़ी ध्यान गया है और उसके सम्बन्ध में पालिसी निश्चित हो रही है। प्राइसिज़ स्टैबिलाइज़ेशन बोर्ड की बात कही गई है। यह तो निश्चित हुआ है कि फ्लोर-प्राइस निश्चित की जायेगी। हो सकता है कि सीलिंग प्राइस अभी निश्चित न हो। यह एक सही कदम है और आप अन्दाजा कीजिए कि अगर यह नहीं होता है, तो क्या हालत होगी। आप खरीदते हैं किसी भाव पर और कन्ज्यूमर को कितने ऊंचे भाव देने पड़ते हैं, यह आपसे छिपा नहीं होगा। गांवों से, सड़कों पर और हर एक झोंपड़ी से यह आवाज़ आती है कि भाव आसमान को छूते जा रहे हैं। इसलिए मैं सरदार साहब का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा और उनको एक निश्चित प्राइस पालिसी की ओर आगे बढ़ने को कहूंगा। देश बड़ी आशाभरी निगाह से उनकी ओर देख रहा है। अगर सरदार स्वर्ण सिंह की ओर से वह स्वर्ण-युग या कम से कम उसकी तस्वीर सामने खड़ी नहीं की गई, तो देश को बहुत मायूसी होगी, देश बहुत निराश होगा।

मैं आता हूं उस इलाके से, जहां काफ़ी गन्ने की खेती होती है, चावल की खेती होती है और जूट की भी खेती होती है। जूट के भाव के साथ कैसे खिलवाड़ की जाती है, उसको सुन कर आपको आश्चर्य होगा। उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन को जानने के लिए, उसका पता लगाने के लिए एक कमेटी बनी हुई है। जब हमने जानना चाहा कि कब तक यह कमेटी अपना काम पूरा कर लेगी तो हमें बताया गया कि इसमें तीन साल और लगेंगे और तीन साल के बाद ही यह चीज़ शायद निश्चित हो पाएगी। उस वक्त जो उद्योग मन्त्रालय है वह शायद कहे कि अभी जो तीस रुपये का भाव रखा हुआ है वही सही भाव है। मैं समझता हूं कि जो रा मैटीरियल है तथा जो फिनिश्ड प्राडक्ट्स हैं, इन दोनों के बीच में कोई सम्बन्ध होना चाहिये। फिनिश्ड प्रोडक्ट का जिस हिसाब से दाम निश्चित किया जाता है, किसान को भी उसके रा मैटीरियल्ज़ का दाम उसी हिसाब से मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें।

श्री यमुना प्रसाद मंडल : दो मिनट में खत्म कर देता हूं। हम लोगों को ज्यादा वक्त बोलने के लिए नहीं मिलता है।

हमारे वित्त मन्त्री जी ने जो यह बताया है कि इस साल चालीस जिलों में सघन खेती

[श्री यमुना प्रसाद मंडल]

नहीं की जाएगी बल्कि अस्सी जिलों में इसका प्रारम्भ हो सकता है तथा हो सकता है कि पन्द्रह सौ ब्लाक्स में सघन खेती हो इसका मैं स्वागत करता हूं। मैं उत्तर बिहार के उस क्षेत्र से आता हूं जहां कि जमीन बड़ी जरखेज है, बड़ी उर्वर है और जहां बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो अन्न के भण्डार हैं। इसी के साथ साथ...

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म कीजिये।

श्री यमुना प्रसाद मंडल : दो मिनट में मैं खत्म किये देता हूं। आपका हुक्म हो तो अभी बैठ जाऊं।

उपाध्यक्ष महोदय : हर एक मैम्बर ऐसे करेगा तो कैसे काम चल सकता है?

श्री यमुना प्रसाद मंडल : जैसा आपका हुक्म।

श्री रतनलाल (बांसवाड़ा) : मैं कृषि और खाद्य मन्त्रालय की मांगों का स्वागत करता हूं। आजादी मिले हुए आज सतरह वर्ष हो चके हैं और देश के अन्दर हमारी सरकार की तरफ से अच्छी अच्छी योजनायें भी बनाई गई हैं। हम यह समझते हैं कि उन योजनाओं से हमारे कृषकों को फायदा हो रहा है और भविष्य में भी फायदा होगा।

मैं आपका ध्यान उस क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां पर खेती के मैदान नहीं हैं, वे इलाके बहुत दूर हैं, पहाड़ी हैं, और जहां पर आदिवासी रहते हैं। वहां पर कृषि की छोटी छोटी सिंचाई की योजनायें होनी चाहियें। वे आज वहां नहीं हैं। उन क्षेत्रों के अन्दर बड़ी बड़ी नदी घाटी योजनायें लागु नहीं की जा सकती हैं, वे चालु नहीं की जा सकती हैं क्योंकि वे पहाड़ी इलाके हैं। उन इलाकों में जहां पर ढलान है, पठार हैं, कुएं बनाये जा सकते हैं। वहां पर कृषकों के पास पांच छः या सात एकड़ जमीन होती है। उस जमीन को सिचाई के लिए दो ही साधन हो सकते हैं। या तो वहां कुएं हो सकते हैं या छोटे छोटे तालाब। ऐसे जो पिछड़े हुए इलाके हैं, उनकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये। ऐसे इलाकों की ओर पहले ध्यान जाना चाहिये, हमारी सरकार को उन पिछड़े हुए लोगों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये। अगर आप इन पिछड़े हुए लोगों की तरफ, इन गरीब लोगों की तरफ ध्यान देंगे तो वहां पर भी उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। लेकिन देखा जाता है कि ऐसे इलाकों के अन्दर जितना लाभ पहुंचाया जाना चाहिये नहीं पहुंचाया जा रहा है, उनको जितनी सुविधा दी जानी चाहिये, नहीं दी जा रही है। यह देख कर हमें दुख का ही अनुभव होता है।

वहां पर खाद्य विभाग की तरफ से कोई कार्यकर्ता नियुक्त नहीं किए गए हैं, ग्राम सेवक नियुक्त किये गये हैं, पटवारी नियुक्त किये गये हैं। लेकिन उन पर कई काम लाद दिये गये हैं। खण्ड विभाग की तरफ से बहुत सा काम उनको दे दिया गया है। जो ग्राम सेवक आदिवासियों में रहता है या जो पटवारी रहता है उसको अनेक प्रकार के काम करने पड़ते हैं। इस कारण से पिछड़े हुए इलाकों में कृषकों को जो ज्ञान खेती के बारे में उनको देना चाहिये उसे वे दे नहीं पाते हैं। योजना के अन्दर जो अच्छी अच्छी बातें रखी गई हैं, जो किसान के फायदे की बातें हैं, जिनसे खेती की उन्नति हो सकती है, वे सब बातें एक ही ग्राम सेवक या पटवारी नहीं कर सकता है। उस के पास बहुत सारे धंधे हैं। जो रिपोर्ट हमारे सामने है उस में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य जिला, खण्ड तथा ग्राम स्तर पर कृषि प्रशासन को सुधारने एवं सुझाव देने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई है और कृषकों को सुझाव देने के लिए, कृषि की उन्नति कराने के लिए एक ही कार्यकर्ता रखा जाएगा और वह खेती के अन्दर ही

अपना सारा ध्यान देगा । वह बहुत सुन्दर चीज है । इस चीज को जिन जिन राज्यों ने मंजूर किया है या जो मंजूर करेंगे वे बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे । सभी जगह पर इसको मैं चाहता हूं कि लागू किया जाए, तभी हमारे देश के किसान को फायदा पहुंच सकता है ।

आज जो हालत है, वह मैं आपको बतलाता हूं । आज अगर खाद बांटना होता है, तकावी मिलनी होती है या बैलों के लिए तकावी देनी होती है, कुंएं का निर्माण करना होता है, तालाब को बनवाना होता है तो किसानों को पैसा अलग अलग विभागों से मिलता है और यह सारा काम एक पटवारी या ग्राम सेवक को नहीं सौंपा जाता है । मैं चाहता हूं कि एक कार्यकर्ता कृषि के लिए ग्राम स्तर पर अलग से रखा जाना चाहिये । तभी जितनी भी योजनायें आज लागू हो रही हैं, उनसे पूरा लाभ किसान को मिल सकता है । छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए जो पैसा रखा गया है वह बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिये और उस पैसे को किसान तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये । जिन जिन इलाकों में आज सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं है, देखा गया है कि रासायनिक खाद को वहां दे दिया जाता है वहां पर नहीं दिया जाता है । मैं चाहता हूं कि जहां पर पानी की पूरी व्यवस्था हो वहां पर ही रासायनिक खाद दी जानी चाहिये । जहां पर सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं होती है, उन किसानों को सहकारी समितियों द्वारा लोन मिल जाता है या तकावी मिल जाती है या खाद मिल जाती है और जब वह खाद ऐसी जमीन में डाली जाती है तो उसका नतीजा उलटा होता है । मैं चाहता हूं कि जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहां पर रासायनिक खाद नहीं दी जानी चाहिये और न ही दबाव के कारण रासायनिक खाद का बटवारा वहां होना चाहिए ।

फसलों की बीमारी को रोकने के लिए अभी तक जो कुछ किया गया है, विशेषतः राजस्थान में, वह बहुत कम है । वहां पर फसलों को या गेंहूं को एक बीमारी लग जाती है जिसको गेरुआ कहते हैं और दो चार दिन में ही वह इतनी बढ़ जाती है कि यदि उसका तत्काल निवारण न किया जाये तो सारी फसल नष्ट हो जाती है । एग्रिकल्चर विभाग की ओर से पूरा प्रबंध उसके निवारण का, दवाई आदि का नहीं हो पाता है, शीघ्र ही नहीं हो पाता है । इसलिए इस बीमारी की रोकथाम के लिए या दूसरी बीमारियों की रोकथाम के लिए जो फसलों को लग जाती है, विभाग की ओर से दवाइयों की पूरी व्यवस्था शीघ्रता से की जानी चाहिये ।

हमारे यहां किसान जो गांव में रहते हैं, उनको कृषि का ज्ञान बहुत अधिक है । उनको नए नए कृषि के औजार दिये जा रहे हैं । मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे हल जो बैलों से चलाये जा सकते हों, वे भी उनको दिये जाने चाहिये । साथ ही छोटे छोटे किसानों की थोड़ी जमीन के अन्दर जल्दी से जल्दी चला सकते हैं और चूंकि ये लोहे के हल कम कीमत के होते हैं इसलिये वे ज्यादा खरीद सकते हैं । हमारे किसान को, जो कि गांवों में बसते हैं, आर्थिक सहायता देने के लिये आज ज्यादा सुविधा बढ़ानी चाहिये और उनको तकावी का रुपया समय पर मिलना चाहिये । तभी उनको खेती के लिये जो सहायता दी जाती है उससे फायदा पहुंच सकता है ।

श्री रामसहाय पाण्डेय (गुना) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे समय दे दिया ।

जहां तक कृषि तथा खाद्य मंत्रालय का सम्बध है यदि स्वराज्य के बाद से इस मंत्रालय की स्थिति पर दृष्टिपात करें तो वह बड़ी दयनीय रही है । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जितनी आवश्यकता पर एवड इन्वेस्टमेंट की इस देश में हो सकती थी,

[श्री राम सहाय पाण्डेय]

जिसकी कल्पना की जा सकती थी, वह इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ । हमारे देश की आमदनी १५ हजार करोड़ है और ठीक उसकी ५० प्रतिशत आमदनी हमारे किसानों के द्वारा होती है । उस ७२ फी सदी किसान के द्वारा जो गांवों में रहता है । लेकिन प्लैन इन्वेस्टमेंट के लिये २० परसेंट की कल्पना की गई है । मैं एक सुझाव देता हूं । यदि आप १२०० या १३०० करोड़ रुपये को, जो पांच वर्ष के अन्दर अनाज मंगाने में बाहर जाता है, सामने रख कर २० प्रतिशत प्लैन इन्वैस्टमेंट बढ़ा दें, अर्थात २० से ४० प्रतिशत कर दें तो आपका ३ मिलियन टन से कुछ अधिक की जो अनाज की कमी है वह पूरी हो जायेगी । हमारे यहां प्रति एकड़ इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाना चाहिए । जो हमारे यहां प्लैन इन्वेस्टमेंट आज २० प्रतिशत है उसको बढ़ा कर ४० या ५० प्रतिशत करना चाहिये और कृषि आउटपुट को बार फ्रंटिंग पर रखना चाहिये । मैं प्लैनिंग को चार्ज करता हूं । हमने ऐग्रिकल्चर को नेगलेक्ट किया है । हमने इस तरह से उसको नेगलेक्ट किया कि हमने सोचा ही नहीं कि यह एक साइकिल है । अगर दो वर्ष तक ज्यादा पैदा हो गया तो हम में एक उदासीनता आ जाती है और हम सोचते हैं कि हमारे अनाज का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया जब कि यह एक साइकिल है जिस में दो वर्ष ज्यादा अनाज होता है तो अगले तीन वर्ष अनाज अच्छी तरह पैदा नहीं होता । फिर प्लैन करते वक्त यह नहीं देखा गया कि २·५ परसेन्ट पापुलेशन बढ़ती जाती है । हर मिनट में १७ बच्चे पैदा हो जाते हैं । ८६, ८७ लाख बच्चे हर साल पैदा होते हैं । इस तरह से २·५ प्रतिशत बच्चे पैदा हो गये और ३·५ प्रतिशत अनाज में कमी है । कुल ६ प्रतिशत की कमी है । आखिर इन बच्चों को कैसे खिलायेंगे, जो आबादी बढ़ रही है उसको कैसे खिलायेंगे । इसलिये टाप प्रायरिटी इस बात को देनी चाहिये कि हमें २० प्रतिशत से बढ़ा कर ५० प्रतिशत प्लैन इन्वैस्टमेन्ट करना है ।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । आप को प्रोडक्शन इस वक्त ३ प्रतिशत से कुछ अधिक कम है और बच्चे बढ़ते जाते हैं, इसलिये आप हिन्दुस्तान के किसानों को सीधे ऐप्रोच कीजिये । उनमें कुछ तरबियत, कुछ शक्ति और उत्साह पैदा कीजिये, दिलचस्पी पैदा कीजिये । लेकिन आप कुछ नहीं करते हैं और बाहर से अनाज मांगते हैं । इस सिचुएशन को मीट करने के लिए आप कुछ कदम उठायें । एक तो आपके पास चम्बल रेवाइन्स स्कीम है । वह यह है कि ६० लाख एकड़ धरती है आप के पास चम्बल रेवाइन्स की तरफ । राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश इन चार प्रदेशों से उस का सम्बन्ध है । यह कल्पना की गई थी कि अगर चम्बल रेवाइन्स को रिक्लेम कर दिया जाये और उस को पूरा पाट दिया जाये तो उस पर ५०० रु० पर एकड़ का खर्च आयेगा । आप ने उसके सर्वे के लिए ५ लाख रु० सैंक्शन किये । उसका सर्वे भी किया गया । मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा रिस्पांस भी आपने पाया । स्कीम की फर्स्ट स्टेज को आप ने देखा मैं मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि वह इस चीज़ को टाप प्रायरिटी दे । अगर आप ६०,००,००० एकड़ धरती को कल्टिवबल लैंड बना लें, तो मैं ने उसकी एकानमी का हिसाब लगाया है, १५ लाख एकड़ पर आप की खेती हो सकेगी । मैं सिर्फ २५ प्रतिशत लेता हूं । अगर ५०० या ७०० पाउंड पर एकड़ का, या जो भी हमारा प्रोडक्शन हो उस के हिसाब से एकानमी को वर्क करें, तो आधा मिलियन टन अनाज आपको इस स्कीम में मिल जायेगा ।

इसी प्रकार से फलो ऐंड अदर कोर्स लैंड आपके पास करीब ३० मिलियन एकड़ है । यह ऐसी जमीन है जोकि कहीं ऊंची है,

कहीं नीची है, कहीं सख्त है जिसका जोतना बड़ा कठिन है। मैं ने उस का हिसाब इस तरह से निकाला है कि ऐसी धरती है जिसमें तीन साल या चार साल में फसल होती है। उस में अनाज डाला जाता है तो कभी कभी कुछ पैदा ही नहीं होता। तीन या चार साल में एक फसल आती है। अगर आप इस तरह की लैंड का एक तिहाई ले कर उस का ट्रैक्टराइजेशन करें, उस को कल्टिवेबल बनाया जाये तो मैं ने जो ५०० पांउड प्रति एकड़ का हिसाब लगाया है उसके हिसाब से इस में २.५ मिलियन टन अनाज पैदा हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हू कि यह जो दो स्कीमें मैंने आप सामने रक्खी हैं उनकी ओर ध्यान दीजिए। एक तो कोर्स लैंड है और दूसरी चम्बल रेवाइन्स की है, अगर आप इन को टाप प्रायोरिटी दें और वार फुटिंग पर इस को ट्रीट करें तो इस से अनाज की उपज काफ़ी बढ़ा सकते हैं। सिर्फ इसमें किसान को तरबिअत देने की बात है उस में उत्साह और शक्ति पैदा करने की बात है। आज फार्मर ओरिएन्टेड एकानमी की बात कही जाती है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन में शक्ति और उत्साह पैदा करने के लिये जो पोलिटिकल पार्टीज हैं वे एक तरह का राजनीतिक संकल्प ले लें कि वे उनके बीच में आ कर उत्पादन बढ़ाने का राष्ट्रीय कार्य करेंगे।

यही मेरे सुझाव हैं और मैं समझता हूं कि उन पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के सामने फूड पर नहीं बोलूंगा, सिर्फ ऐग्रिकल्चर के ऊपर थोड़ी सी बातें आप के सामने रखना चाहता हूं। एक बड़े फेमस इंगलिश फिलासफर ने कहा है :

"He who makes two ears of wheat grow where one grew before is greater than all the Ministers put together."

यहां पर बोलते हुए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट में विशेषज्ञों ने बहुत काम किया है। इस में कोई शक नहीं कि एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है लेकिन मैं आपका ध्यान और मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐग्रिकल्चर डिपार्टमेंट ने जितनी रिसर्च की है क्या उसकी सुविधा किसानों के पास मौजूद है। अगर वह सुविधायें किसानों को मिल जायें तो मेरी समझ में भी यह आता है कि देश की पैदावार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा सकती है।

सब से बड़ा डिफेक्ट जो यहां पर है, जिस का उल्लेख लैंड रिफार्म के सिलसिले में किया जा सकता है, वह यह कि २६ मिलियन कल्टिवेटर्स के पास कुल ४ मिलियन एकड़ जमीन है। यानी जिन के पास एक एकड़ से कम ज़मीन है उन की ज़मीन कुल ज़मीन का १·२ परसेन्ट है। एक से पांच एकड़ तक के १८ मिलियन लोग हैं जिन के पास ४८·४ मिलियन एकड़ जमीन है जोकि १४·४ परसेन्ट होता है और ५ से १० एकड़ वाले काश्तकारों की संख्या ८ मिलियन है, जिन का टोटल एकरेज ६२·३ मिलियन है तथा वह १८·५ परसेन्ट है। अगर आप इस तरह से देखें तो इस देश के ५४·८ मिलियन काश्तकार ११४ एकड़ मिलियन एकड़ जमीन जोतते हैं और ९ मिलियन किसानों के पास २२१ मिलियन एकड़ जमीन है। जिस के पास आज जमीनें ज्यादा हैं वे लोग पैदावार नहीं बढ़ाते। अगर आप को इस देश की तरक्की करनी है तो आप को भूमि सुधार व इन्टेन्सिव कल्टिवेशन करना होगा।

इन्टेन्सिव कल्टिवेशन में बहुत सी चीजें आती हैं लेकिन इस वक्त मैं उन में समय के अभाव से नहीं जाना चाहता। आज जो देश का असल किसान है, जो हल जोतता है, उसको हलवाहा कहा जाता है। अगर आप पैदावार के फिगर्स को देखें तो उस की

[श्री मिश्राम प्रसाद]

पैदावार प्रति एकड़ सब से ज्यादा होती है लेकिन उसके पास जमीन नहीं है । अगर आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि एक किसान के पास जिसे सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो उस के पास दस एकड़ से ज्यादा जमीन न हो । जिस तरह से आज ३६०० रु० तक की आमदनी के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाता उसी तरह से जिस किसान की आमदनी ३६०० रु० से नीचे है उससे कोई लगान नहीं लिया जाना चाहिये, और जो किसान दस मन फी एकड़ से कम पैदा करें उनके पास जमीन नहीं रहनी चाहिये । इसी तरह से जो आदमी अपने हाथ से खेती न करे उस के पास जमीन नहीं रहनी चाहिये । अगर आप इस तरह से लैंड रिफार्म्स करायें तो इस देश की पैदावार बढ़ाई जा सकती है ।

मैं आज सिंचाई पर नहीं बोलना चाहता । जब इस की डिमान्ड आयेगी तब कुछ कहूंगा । लेकिन सिंचाई करके ६ मन फी एकड़ पैदावार बढ़ सकती है । आज इस देश में सिर्फ ७० मिलियन एकड़ सिंचाई के नीचे है । डबल क्राप एरिया सिर्फ ४८ मिलियन एकड़ है । अगर आप सिर्फ सिंचाई के ऊपर ही ध्यान दें तो इस देश की पैदावार ६ मन फी एकड़ से ही कई गुनी बढ़ाई जा सकती है जिसके न होने के कारण सरकार को अनाज बाहर से मंगाना पड़ता है ।

इसके बाद मैं इम्प्लिमेंट्स और रिसर्च के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन प्राइस पालिसी के बारे में मेरा कहना यह है कि अगर किसान को उसकी पैदावार की पूरी कीमत नहीं मिलती तो वह पैदावार नहीं बढ़ा सकता । आज लोग कहते हैं कि ऐग्रिकल्चर ग्रैजुएट्स गांवों में नहीं जाते । वे लोग गांवों में जा कर क्या करें अगर खेती करने से उनका पेट नहीं भरेगा । आज इसी लिये वह नौकरी करते हैं । इसलिए अगर पैदावार को बढ़ाना है तो किसानों को पैदावार का उचित मूल्य मिलना चाहिये ।

और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी मैं आप से कुछ कहना चाहता हूं । नालागढ़ रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस प्रकार किसानों की हालत खराब है उसी प्रकार एग्रीकल्चरल एम्पलाईज़ की हालत भी खराब है । इन में से ३० से लेकर ८० प्रतिशत तक कर्मचारी अभी टेम्पोरेरी बने हुए हैं । अगर आप को एग्रीकल्चर को बढ़ाना है तो आपको सरविसेज़ को भी बढ़ाना होगा और उनको परमानेंट करना चाहिये । एक चीज जो सब से बड़ी है, वह यह है कि इस विभाग में एग्रीकल्चर का क्लास २ का जो अफसर है उसको डिप्टी कलक्टर के अधीन काम करना होता है, जोकि क्लास २ अफसर है । अगर किसी टैकनिकल आदमी को इस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के अधीन रखा जायगा तो काम ठीक से नहीं चल सकता ।

14.00 hrs.

फरटीलाइजर के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सिंदरी का फरटीलाइज़र ३७० रुपये टन पड़ता है जबकि बाहर से जो फरटीलाइजर आता है उसका दाम २०० प्रति टन होता है । अगर आप चाहते हैं कि किसान फरटीलाइजर का उपयोग करे तो आप को फरटीलाइजर सबसीडाइज़ कर के देना चाहिए ताकि किसान उसका इस्तैमाल कर सके । साथ ही साथ मैं एक बात और भी आप को बताना चाहता हूं कि आप ज्यादातर नाइट्रोजनस फरटीलाइजर दे रहे हैं । इसका नतीजा यह होगा कि कुछ समय बाद सारी जमीन एसिडिक हो जायगी और खराब हो जायगी । इसलिए आप को फासफोरिक फरटिलाइजर भी काफी देना चाहिये ताकि बैलेंस हो जाय ।

जहा तक गोबर की खाद का सवाल है, उसकी योजना बनाने के पहले आपको देहात वालों के लिए ईंधन का इन्तिजाम करना होगा जिससे कि वे उपले न जलाएं।

आप को किसान को वक्त पर सिंचाई, बीज, फरटीलाइजर आदि मुहय्या करने की व्यवस्था करनी चाहिये नहीं तो कितनी ही प्लान बनाते रहिए देश की पैदावार नहीं बढ़ सकती और न यह समस्या हल हो सकती है।

श्री कछवाय (देवास) : मुझे मौका दिया जाय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दिल्ली दूध स्कीम में काफी घोटाला हो रहा है।

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : इस सत्र में आने के बाद से मैं बजट पर बोला नहीं हूं। मुझे पांच मिनट का समय दीजिये।

Mr. Deputy-Speaker: I am sorry. There are many others who have not spoken. If I give a chance to one Member, I have to give to all. There is no time.

श्री कछवाय : अध्यक्ष महोदय, जो मेम्बर आप से मिल लेते हैं, उन को आप समय दे देते हैं।

Mr. Deputy-Speaker: Two Members have spoken from his party.

श्री दे० शि० पाटिल : जब बोलने का समय नहीं मिलता तो बैठने से क्या लाभ।

(Shri D. S. Patil then left the House)

The Minister of Food and Agriculture (Shri Swaran Singh): I have every sympathy with the hon. Members who are asking for time to make comments on this subject, particularly as it is of a nature on which Members have got a great deal to contribute. To those hon. Members who did not have an opportunity of speaking, notwithstanding the fact that the Chair has been liberal in extending time, my suggestion would be that they can pass on whatever comments they may have to me, and I will examine them with the same care as if those suggestions had been made in the course of speeches here.

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam): But will they go into the record?

Shri Swaran Singh: This debate, in a sense, can be regarded as a continuation of the debate that took place about a month ago, which was on food policy. On that occasion, hon. Members touched upon not only the immediate question of food matters, but also had valuable suggestions to make with regard to agricultural production and other connected matters. In the course of my reply on that occasion, I devoted a good deal of time to answering the immediate questions that were worrying the hon. Members and, I presume, the country as a whole, about food matters, and I did not say much about agricultural production and other related matters. I had said that more of this would be urged by hon. Members when the Demands came up for discussion.

श्री कछवाय : हाउस में कोरम नहीं है।

Mr. Deputy-Speaker: The bell is being rung. Now there is quorum. He may continue.

Shri Swaran Singh: I would, therefore, take this opportunity of making some general observations on the points that have been raised here. While doing so, I am grateful to my colleagues in the Ministry who have already participated in the debate. To a very large extent my task has been made lighter, because many of the points have already been covered by them.

I think the particular point which has been raised by my hon. friend Shri

[Shri Swaran Singh]

More calls for some comment. He said pointedly that we had an Industrial Policy Resolution, but there was no resolution as such about agriculture. If this were correct, it is a legitmate grievance, but let us examine as to whether it is a fact.

Shri Sham Lal Saraf (Nominated—Jammu and Kashmir): We have asked about land policy also.

Mr. Deputy-Speaker: He does not yield.

Shri Swaran ingh: It is true there is no resolution as such on agricultural policy which can be cited as a counterpart of the Industrial Policy Resolution, but I would like to remind the hon. House that the formulation of the Industrial Policy Resolution was in a particular context. Immediately after independence, we had plans to advance on the industrial front. There were doubts as to the sector in which private sector should be permitted to flourish and the sectors in which the State should come in to give a boost to the industrial complex, and it was necessary to define the respective roles of the public sector and the private sector, so that the private sector might know the direction in which they could contribute to our industrial development. The Industrial Policy Resolution is really a product of that background. It was not necessary to have a separate resolution on agricultural policy, but all the relevant points which govern agricultural production have been enunciated in the various Five Year Plans, and therefore it will not be correct to say that we are not following any policy as such in agricultural matters. How can such an important sector be left without a proper policy? I will not go into detail or into the historical background. I shall not mention what is contained in the First and the Second Plans. The current Third Plan under which we are carrying on governmental activity in agricultural and other spheres, lays down various guide lines which are sheet anchor of our agricultural policy. I am quoting from the Third Plan.

> "Land policy has, broadly speaking, two objectives: The first is to remove such impediments to increase in agricultural production as arise from the agrarian structure inherited from the past. This should help to create conditions for evolving as speedily as possible, an agricultural economy with high levels of efficiency and productivity. The second object, which is closely related to the first, is to eliminate all elements of exploitation and social injustice within the agrarian system, to provide security for the tiller of soil and assure equality of status and opportunity to all sections of the rural population."

A mere enuniciation of this, a full comprehension of this and the implementation of this policy answers many points raised by my hon friends who participated in the debate from the Congress and the Opposition Benches. I will not go into the various legislative measures taken in various States; to mention the effects of a few, attempts have been made to remove large disparities in land ownership, ensure wider distribution of properties in land through abolition of intermediaries, reduce rents which landlords may receive upto a certain fraction of the gross produce so that the tenant is left with some surplus for investment, provide security of tenure to tenants, confer ownership on tenants so that the tiller of the land becomes its owner, impose a ceiling on land holdings and redistribute surplus lands among displaced tenants, uneconomic holders and landless persons and to carry out

consolidation of scattered and fragmented holdings. These are various steps taken in varying measures in various States. It is some comfort for me to know on this issue that there is one extreme opinion which would say that not enough has been done and another section of opinion in the Opposition which says that this type of land legislation has created a situation where the result is not to boost production. They are at complete liberty to stick to their opinions. But we have in a very persistent and sustained manner in the States carried on a policy in pursuance of the principles laid down in the Third Plan and I claim, with considerable success.

At the time of the last National Development Council meeting, this point came up in a very prominent manner and we have already taken a decision to constitute a committee at a very high level and I have the honour to serve on that committee. There are several Chief Ministers as Members of that committee and we have a representative of the Planning Commission also. That will go into the question whether the objectives laid down in the Five Year Plans, particularly in the Third Plan, have or have not been actually achieved. I have no doubt that the shortcomings in this respect will be progressively rectified.

Another important matter which is again laid down in the Third Plan is the policy with regard to production. The Third Plan lays down the following objective: to achieve self-sufficiency in foodgrains and to increase agricultural production to meet the requirements of industry and exports. Hon. friends have pointed out the various failures that have taken place on that front. To that extent I can surely be held responsible but you cannot say that we are not working that policy or that we are taking only *ad hoc* steps. I may again quote from the Planning Commission's Report:

> "The programmes of agricultural production lie at the base of the comprehensive approach to the reconstruction of the rural economy....Schemes for increasing agricultural production are closely bound up with the success of animal husbandry and dairying and the development of fisheries and of rural industry. From the aspect of long-term development, care of forest wealth, conservation of soil and moisture and the growing of village fuel plantations are of great importance."

Not only has the objective been laid down, but it has also been spelt out in greater detail. They show the various directions in which concrete steps have to be taken.

Another step laid down in the Plan and for the implementation of which we have taken a lot of care is the idea of intensive cultivation. The Planning Commission says that in areas where conditions are specially favourable on account of the availability of irrigation and assured rainfall and the co-operative movement is fairly established....agricultural programmes should be undertaken on a more intensive scale than may be generally feasible. In all areas, and more specially in areas selected for intensive development, the Planning Commission says, a concerted effort will be made to reach all farmers and to promote the adoption by them of a minimum combination of improved practices.

In this connection, the House is fully aware of the steps recently taken about what are popularly known as 'Package Programme'; a number of other districts have also been selected in all the States for intensive cultivation of a number of crops including cereals and cash crops. I would not like to go into detail.

[Shri Swaran Singh].

The third point is about the price policy. A great deal has been said on this, sometimes from the consumer angle, sometimes from the producer angle. We have no intention to be involved in that controversy. But actually even in this respect the principle has been enunciated and it is a question of how best to create a proper atmosphere and proper mechanism by which we could implement it.

"The producer of foodgrains must get a reasonable return. The farmer, in other words, should be assured that the prices of foodgrains and the other commodities that he produces will not be allowed to fall below a reasonable minimum. The Third Five-Year Plan postulates extended use of fertilisers and adoption of improved practices by the farmer. The farmer should have the necessary incentive to make these investments and to put in a larger effort. A policy designed to prevent sharp fluctuations in prices and to guarantee a certain minimum level is essential in the interest of increased production. It is important also that the appropriate measures or policies should be enunciated and announced well in time to ensure that the benefit accrues to the farmer. The other objective, no less essential is to safeguard the interest of the consumer....."

"It is particularly necessary to ensure that the prices of essential commodities such as foodgrains do not rise excessively."

When I listened to the speeches which hon. Members have delievered, I got a feeling that they were taking up the various aspects which have been very clearly enunciated in the Five Year Plan, but in presenting those points, they were highlighting only one aspect but not putting the whole picture in a comprehensive manner.

The fourth point which I would like to mention under this category of policy is the ceredit policy. On this also we had clearly laid down in the Plan thus:

"In formulating programmes for the expansion of co-operative credit during the third Plan, the main consideration has been to ensure adequate support to the effort to achieve the large agricultural targets set in the Plan."

There are other things also, such as incentives and the like which are contained in the Plan but I would not quote because that, to my mind, is nothing but implementation of the four central ideas that I have tried to project before this hon. House. It is, therefore, not quite correct to say that we are pursuing our effort on the agricultural front in the absence of a well-defined policy. My submission is that we have a very clear-cut policy. The hon. lady Member from Andhra Pradesh who is not at the moment present in the House, was good enough to say that the formulations are excellent. That, to a certain extent, was a complete reply to the complaints of Shri S. S. More, but there is more lag in implementation. That is a matter about which there can be difference of opinion. I myself am not fully satisfied that under the various heads we have been able to implement our various programmes with the same speed and with the same results as I wish we could.

There is a great deal that can be done in that respect, and therefore we have now decided to give a greater emphasis on implementing these various programmes taking each bit and seeing what best we could do in this connection.

While on this point, it is my duty to remind the House, not by way of shifting the responsibility, but to appreciate it, of the correct Constitutional position. It has become quite a fashion to say that we are trying

to explain away the failures by saying that the States are responsible for this or that, and that it is a convenient argument for the Central Government to project that idea. It is not my intention to shift the responsibility to anyone, but let us in this august House, which is the custodian of the Constitution, be clearly conscious of the Constitution which has been adopted and about which we cannot unilaterally take a view. Let us not forget that agriculture, according to the Constitution under which we work, is completely a State subject, and if in the Centre there is the necessity of a Ministry for Food and Agriculture, it is because in the Plan itself a certain all-India view had to be taken, and therefore, in matters like crop planning, price policies, sometimes in the import of deficient food produce or the import of the necessary input factors or export policy, with regard to surpluses, an all-India view has to be taken. So, it was necessary to have an all-India picture, and therefore, there was the necessity of having a Ministry at the Centre in charge of this, to have an eye upon the broad objectives of the Plan and to see that the various components which are entrusted with the responsibility of fulfilling the target enunciated in the Plan are going ahead according to the expectations of the planners and also to go to their help and give them all possible assistance and the like.

Shri Prabhat Kar (Hooghly): So, except co-ordination, the Centre is not responsible for anything else?

Shri Swaran Singh: If the hon. Member had devoted one-tenth of his attention to what I said in the last sentence, he would not have put this question. Apart from co-ordination, I have enunciated a number of things. I would not repeat them. Let him look at the record again. There are a number of input factors about which the States alone cannot find the overall resources or foreign exchange. There are the multi-purpose river valley projects which cover more than one State and for which the States have neither the finance nor the organisation nor perhaps always the clear picture for the best exploitation of those resources. It was, therefore, necessary to keep an over all eye upon all those various inpu factors and to have a co-ordinate view with regard to the progress of agricultural development, and to spot out the deficiencies and to go to their help and rescue, so that the work might proceed in a satisfactory manner.

So, it is not a question of shifting the responsibility, but, let us remember once and for all that it is the responsibility of the States under the Constitution to carry on the agricultural programme. We are in a planning era and it is, therefore, necessary to have an all-India view, and to that extent, we always look into all those aspects from that broader and bigger angle and go to their help and try to help them wherever possible.

I would like to share with hon. Members my experience which I had by coming into close contact with the leaders of Government in the various States, which opportunity I had had at the regional conferences in which the Chief Ministers and several other Ministers concerned with the rural development and agriculture participated. There is a full and growing sense of responsibility on their part and also the consciousness of the fact that it is their responsibility and they squarely take it on their shoulders. Sometimes they even point out that "you are suggesting this thing, but in the peculiar circumstances in which we find ourselves, we would like to vary it in this respect," and so on, to which we gladly say "Yes, you are at perfect liberty to make any variation in the overall structure or set up that we might be attempting to evolve." So, there is no question of finding any scapegoat or finding an excuse. It is necessary for us to keep that Constitutional position always before us, because sometimes we are prone to explain it away as an attempt on the part of the Centre not to share the responsibility in a square manner.

[Shri Swaran Singh].

Several steps have been taken to carry on the policies that I have enunciated. Some of them have already been referred to by my colleague Dr. Ram Subhag Singh. There are one or two things about which I would like to make a particular mention. This is about the administrative co-ordination, both at the political and administrative levels, which has been evolved very successfully, according to my judgment, in the course of the last three or four months, both in the States and at the Centre. The Agricultural Production Board meets almost once every month and it picks up specific points upon which action is indicated and whatever the decision that is taken is not the subject-matter of any lengthy noting thereafter. The various Secretaries of the Ministry who participate in the discussion do pick up those points and take follow-up action without someone else prodding them to take any further action. This, to my mind, is a great improvement upon the earlier arrangements where in a number of files travelled from one Ministry to the other, and it was not always possible to pinpoint a particular decision and take follow-up action that was necessary. In the States also, the Chief Ministers themselves are taking a personal interest in this, and in some States the Chief Ministers themselves have taken the portfolio of agriculture, and in others, they have set up Production Boards at minister level over which the Chief Ministers themselves preside.

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : गल्ले के दामों में कोई फर्क नहीं आया । कितने ही मिनिस्टरों ने अपने पोर्टफोलियो बदले लेकिन इस से कोई फायदा नहीं हुआ ।

श्री स्वर्ण सिंह : श्री सरजू पाण्डेय तो अच्छी तरह से अंग्रेजी जानते हैं । अभी गल्ले के दाम तक तो मैं आया ही नहीं । यदि उन को यह नागवार गुजरता है तो मैं इसे छोड़े देता हूं ।

It is amazing that some people work in such a negative mind: that if anybody wants to try to put it in a co-ordinated manner, as we are doing, he gets upset. This is an amazing approach to a difficult and complicated problem about which some hon. Members have pointed out that we should not have a party approach and that we should have a national approach. But still, there is refusal even to digest some of these facts to which very little objections are raised. When these points come and are sought to be made, then some sort of intervention which is absolutely unconnected with the particular issue is sought to be introduced. I am not afraid of it. I am quite accustomed to this sort of thing, and I can assure you that on that type of thing you cannot beat me!

Sir, I was mentioning about administrative co-ordination. I feel that administrative co-ordination is very necessary even to realise the objective which is so dear to my hon. friend Shri Sarjoo Pandey and which he thinks is not dear to us, namely, to produce more food so that the prices may not have a tendency to shoot up. This is one of the very essential things for realising the objective which is before the mind of every one.

I would mention only one other aspect before I pass on to the next point: that is, that as a result of these various steps the financial outlays for agricultural purposes and programmes have been significantly stepped up. This was Rs. 73 crores in 1961-62; it was Rs. 85 crores in 1962-63, Rs. 110 crores in 1963-64, and I am glad to inform the House that for 1964-65 an outlay of Rs. 147 crores has already been approved of by the Planning Commission.

I would also like to give this further information that it is proposed to make additional allocations for essential agricultural production programmes, like minor irrigation and

soil conservation. An additional allocation of about Rs. 15 crores has already been agreed upon, and there may be something more in this respect.

One last submission in this connection about the progress of agricultural production. Sometimes, in our gloom when we are faced with immediate difficulties, we can develop a convenient memory—I talk of my Opposition friends—to ignore altogether the increase in agricultural production. I am citing this figure not with a view to give an impression that I am fully satisfied with this, but the factual position must be known to the House as also to the country, so that we can view the problem in the proper light. Over the period 1949-50 to 1961-62 the overall agricultural production in India advanced at the average linear rate of about 4.07 per cent per annum, with the triennium ending 1951-52 as the base 100. During the same period the area under crops increased at the linear rate of about 2 per cent per annum and productivity by 1.8 per cent per annum. So the increase has been both by increasing the acreage as also by increasing productivity.

Then, about food production, about which hon. Members have expressed their concern, even in this respect I would like to give the information to the hon. House. For foodgrains as a group, the linear rate of growth was 4.06 per cent per annum, practically half of which was due to area and the other half due to productivity. Among rice and wheat, the contribution of productivity outweighed that of area in the case of rice, while the contribution of area outweighed that of productivity in the case of wheat.

When we view this rough linear increase of about 4 per cent over this ten year period, as against the increase in the population of roughly 2 per cent, then this is definitely a direction in which we are moving towards decreasing the gap between the availability and our overall requirements. So it is necessary for us to keep that in view. It is quite legitimate for the House to expect that this rate should be stepped up. The various steps that have been taken from time to time are in that direction. But we should know what we have done, and I will not be quite wrong when I say that this increase in the rate of production has not been equalled by any other country which became independent and got charge of its own affairs within the initial stages of its independence.

श्री काशी राम गुप्त : इतनी महंगाई और परेशानी क्यों है ?

Shri Swaran Singh: Now, there are some other points about which I would like to say a few words. I would like to inform the House about the sugar position in the country.

श्री बागड़ी (हिसार) शुगर के बारे में सरदार साहब यह जरूर बतलायें कि दिल्ली में २० किलो और पंजाब में ७ किलो . . . .

श्री काशी राम गुप्त : और राजस्थान में तीन किलो ।

श्री स्वर्ण सिंह : अगर बागड़ी साहब को अंग्रेजी में पता न लगा हो तो वह बाद में मुझ से पूछ लें मैं उन को हिन्दी में बतला दूंगा ।

Shri Swaran Singh: Sir, my expectation is that by the end of this month, that is by the end of March, we will have produced 23.25 lakh tons of sugar. It is significant that this figure is larger than the production even during the best year when we had a production of roughly 30 lakh tons. That is, 23.25 lakh tons, we expect, will be produced by the end of March. That does not mean that this year the total production will touch the figure that we reached when we had the best production year before last, two years back. My estimate now is that during the current sugar season we will produce from 26 to 27 lakh tons of sugar. In this is included the production that

[Shri Swaran Singh]

will be there during the months of September and October; because there are parts of our country where the sugar season continues even during that period. I would like to remind the House that our Sugar Year is from the 1st of November to the 31st of October. We will have from 26 to 27 lakh tons of production during this year. We had a carryover of 1.7 lakh tons. So we will have a total availability during this year of 28.2 lakh tons of sugar.

Some time back I had mentioned that I am hoping to export 3 lakh tons of sugar. Out of this, our export to Canada could not materialise for a number of reasons: because they had certain objections or comments about polarisation and the wax content of our sugar. So the export that is likely to materialise during this year is 2-1/2 lakh tons.

At the rate at which we have been distributing sugar we will require 23.4 lakh tons for internal distribution. Let us add to this another 60,000 tons which will be required for defence requirements and also for the requirements of our neighbours, Nepal, Bhutan, and also part of our country, Sikkim. I am arranging for a carryover of 1 lakh tons at the end of this year.

This gives a total of 27-1/2 lakhs tons, as against the availability of 28·2 lakh tons during this year. This means that if the current rate of distribution continues, I will have another 60,000 tons or so for special purposes like festivals and the like. That is a very tight position, and I am not very happy over it. But in spite of the various steps that have been taken, this was the maximum that we could do.

This will be about 5 lakh tons more as compared to last year, and this will not be up to our expectation. It is for this reason that the supplies to the various States had to be cut down by a small margin of 5 per cent when the last releases were made.

So far as the restriction on the movement of gur and khandsari is concerned, it is our intention to continue this restriction. There is a large population in U.P., where it is about 7½ to 8 crores of people, and in Maharashtra and Andhra Pradesh, who are themselves large consumers and any large-scale pushing up of price in the surplus areas sets into motion a set of events which create difficulty everywhere. Even in the deficit States where we used to hear of a great deal of shortage, the position has very significantly improved and today the price at which it is available even in the so-called open market is not excessive. In States like Gujarat and Rajasthan, which are deficit in the matter of gur, a major part of what is made available to the public is through distribution which is supervised by States, either through cooperatives or fair-price shops and the like, where they are definitely getting their requirements at prices which have no relation to the prices which are generally quoted on the floor of the House as free market price. In those transactions very small quantities generally are involved and in a matter like this we should look to the greatest good of the greatest numbers.

So far as payment of cane-price by the factory-owners is concerned, I share the concern which was expressed by more than one hon. Member. It should be prompt. I checked up and the latest position is that 86 per cent of the price has already been paid. But it will be my endeavour to see that the price for sugarcane that is supplied to the mill is promptly paid.

A desire has been expressed by almost all sections of the House that we should give special encouragement to the cooperative sector. My Parliamentary Secretary gave an account of how well the co-operative sugar

factories are functioning. I would also like to add my humble tribute to what he said from the intimate knowledge he has about the working of co-operatives. We have, therefore, decided in the Ministry to recommend 20 new sugar factories for being established in the co-operative sector. We have also decided to recommend the expansion of the existing manufacturing capacity and in the case of another 26 factories in the co-operative sector, we have taken the decision to permit them to expand their capacity. This means that in the co-operative sector, 3 lakh tons of new capacity and another roughly 3 lakh tons of additional capacity by expanding the existing co-operative sector, that is, 6 lakh tons additional capacity for manufacture of sugar in the co-operative sector, is being recommended by the Ministry. The case has to go to the licensing committee. But I have no doubt that these proposals have been formulated after very careful scrutiny by the screening committee and they will go through by and large. There may be some minor modifications, but I hope that we will be able to give the green-signal for this expanded capacity in the course of the next few weeks or so.

Shri Kashi Ram Gupta: In which States will they be established?

Shri Swaran Singh: When it is actually licensed, he will get all the details.

While on this question of sugar, apart from this question of additional licensing, I would also like to tell the House about the long-term thinking that we have to devote to this important question. The long-term problem of the sugar industry encompasses not only the industrial but also the agricultural sector and any plan to deal with the future of that industry must provide for cane development, particularly in the northern region, so as to increase its yield as well as the sucrose content. We have also to provide for expanding consumption needs and for progressively increasing needs of its by-products particularly molasses and alcohol for industrial and other purposes. It is clear to me that if both these needs have to be met, there has to be a progressive increase in the output of sugar and it may well be that the study of the fourth Plan needs will make it incumbent to project the necessity of expanding the industry to a capacity of about 5 million metric tonnes. This programme has to be supplemented by a definite plan of making sugarcane available to feed that capacity and combined with it the plan to utilise economically the by-products such as bagasse, which as the House is aware is being progressively used for paper, cane wax and press-mud that result from sugar production.

A necessary corollary of this is to work out some adjustments between the needs of the sugar industry and of gur and khandsari manufacturers. Some sort of regulations of supply, direct and indirect, to my mind are necessary. They may take the form of specific allocation of areas and of fiscal and other equalities or they may take the form of some other regulation. But the problem is one which would have to be examined with extreme care, for it has so many aspects and touches so many vital interests. At the same time, I should make it clear that the problem brooks no delay and I hope before the next season begins, we shall have devised some solution to this urgent problem of adjustment.

One more long-range thinking I want to mention in relation to sugar industry. I feel that some possibilities of take-over exist in sugar industry as well. In the past, we have taken over the management of some factories and found that it has been possible to manage them better than those from whom we took them over. The problem of uneconomic units in sugar industry is a real one and this is a problem about which some hon. Members made pointed reference. They constitute a drag on sugar economy, which ultimately means a drag on national resour-

[Shri Swaran Singh]

ces. A committee is already going into the question of rehabilitation of these units. After their proposals are received, we shall have to consider seriously whether the answer to this problem does not lie in change of management, rather than merely in advancing rehabilitation loans or credit against definite schemes. There may be a case therefore, of taking over some units in the sugar industry, as I mentioned a moment ago.

With regard to the food problem and the food prospects of this year, I would like to place my assessment before the House. This year we have been extremely lucky in the matter of rice production. I do not want to take any credit. Some hon. Members violently react when it is mentioned that production has increased. I would like to give all the credit to those hon. Members. May be by their joint prayers or criticism, nature has been good and we had good weather and therefore good crop. I do not want to take any credit; I would like to give all that credit to the hon. Members both on this side of the House and on the other, because everyone requires rice.

श्री बागड़ी : क्रेडिट तो तब मिलेगा, जब पैदावार बढ़ जायेगी । पैदावार घटने पर क्रेडिट कैसे मिल सकता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने अंग्रेजी में कहा है कि इस साल चावल की पैदावार बढ़ी है ।

14.50 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

Sir, this 36.4 million tonnes, which is the latest estimate of rice production this year, happens to be 4 per cent higher than the production in the best year that we have ever had so far—the best year was the year 1961-62 when we had a fairly good crop. This year's production is 4 per cent more than the production in the year 1961-62. As compared to the last year, 1962-63, which was a bad year—and we had the effect of that very much in prominence in certain parts of the country in the months of October and November 1963—this year's production at 36.4 million tonnes is 13·5 per cent higher. Therefore, so far as rice is concerned, I have a feeling that our position is not likely to be very difficult. It is no doubt correct that the level of prices that prevailed at the post-harvest period has been somewhat higher than what would be justified by this additional production. I have, however, one comfort, which I think will be shared by many hon. Members who always talk about the growers, that the prevalence of prices at a somewhat higher level during the post-harvest period does give a direct benefit to the growers because it directly goes at that time to the growers who bring the crop to the market. But I have no doubt in my mind that this initial prevalence of the price level at a somewhat higher level is not fully justified by the actual quantum of production that we have had this year. This is partly due to the fact that the entire supply pipeline had completely dried up on account of the extreme shortages that were experienced towards the end of 1963 and it takes sometime before this pipeline of supplies is rebuilt when only the impact of additional production is felt. It is also partly due to the fact that the market arrivals have not been actually commensurate with the higher level of production. It is quite natural for the growers to think that the prices in the later months might increase, and might increase disproportionately, and if there is some reluctance on the part of the growers in bringing their produce to the market that is understandable. That need not be grudged either. But I am quite clear in my mind that now that the actual effect of all this additional production is felt both in the rural side as well as in the markets, the supplies will increase and also, the prices will not have a tendency to harden, as we had the unfortunate experience towards the end of the year 1963.

Then comes our expectation with regard to wheat this year which has already started coming in Madhya Pradesh and in parts of Maharashtra and will start coming in very shortly in the northern parts of our country in places like Bihar, Uttar Pradesh, Punjab and Rajasthan. The failure of winter showers and also the unusual cold wave which resulted in frost have made the position of wheat not as optimistic as, I hoped, we would have this year, and there is likely to be a shortfall in the production of wheat. It is for this reason that we thought it is necessary to isolate the areas where the production is enough from the areas where there is likely to be shortages. It is always easy to deal with these isolated areas of shortages than to handle a situation where the unusual draw upon the surplus areas from areas of extreme shortages have a tendency to push up prices everywhere. This is a welcome step and it has been well appreciated in the main wheat consuming areas of Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. The wheat prices have started coming down and they will come down even more. So far as the areas where there are shortages are concerned, we intend to keep them fully supplied by imported wheat. We will be localising these areas and we will also be creating a situation where the major part of the wheat consuming population, which also happens to be located in the States which are the principal producers of wheat, will be assured of reasonable prices so far as the growers and, also, a price which is not excessive so far as the consumers are concerned.

The formation of zones is not a new idea. Already we have got rice zones which, over the years, have functioned reasonably well. In fact in the case of wheat our position of handling the situation is much stronger because we have got stocks in our hand and we can easily pump in supplies. These areas where there are likely to be shortages are receiving our special attention, and we are building heavy stocks there so that the situation may remain under control.

I would like to recall that the maize crop last year was particularly good. I cannot say the same with regard to jowar. But luckily for the food habits of the people in the areas which are jowar growing, although they might prefer jowar they can also take to wheat. In fact, wheat even in those areas is regarded as a superior cereal and a better cereal, and it will be quite easy and possible, according to my assessment, to keep the position well in hand even in those areas which are traditionally jowar growing. We can meet their additional requirements of cereals by supplying additional quantities of wheat if there are any shortages. I am in touch with the States concerned, namely, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra, and they are satisfied that they will be able to keep the position well in hand if they get sufficient quantities of imported wheat. I have already assured them that this help would be forthcoming. In this background, I feel that there is not much justification for drawing a gloomy picture with regard to the food situation this year.

The important question now, is the question of prices. It will be our endeavour to keep the prices at such a level that the fluctuations between the post-harvest prices and the pre-harvest period or the lean period prices are not much and they do not fluctuate over a large margin. I would like to present to the House this problem of food on a somewhat long-range perspective. As regards food matters, naturally, much of it depends upon what the availabilities are. To the extent that our efforts in agriculture are adequate and they yield results, the problem of food supplies and prices become comparatively easy. Nobody complains of price when there is enough or more than enough; the real problem arises when there is less than enough. In the case of agricultural commodities, we cannot take supplies for granted and have

[Shri Swaran Singh]

to be prepared for fluctuations in production, even though we might avoid them by scientific planning and implementation of programmes. The only answer to fluctuating production is the availability of buffer stocks, and to that programme not only are we committed but we have been assiduously applying ourselves to the process of building up these stocks.

It is obvious that until our production is built up to the stage of self-sufficiency we shall have to rely on imports, both to meet the deficiencies for current consumption and for building up the necessary stocks. Unless we are prepared to face the prospect of malnutrition and hunger due to deficiencies in domestic production, it is inconceivable to me that anybody should object to imports as such.

15.00 hrs.

During the time that we take to step up our production and build up sufficient stocks we have to be extremely vigilant in the maintenance of prices at reasonable levels. To my mind, so long as we are up against deficiencies and so long as we have to meet an expanding commitment of inelastic demand such as foodgrains articles constitute, controls and regulations are unavoidable, howsoever much psychologically and otherwise we may dislike them. The maintenance of stability in prices and prevention of any undue rise in prices of such basic commodities as food articles are vital to the success of a planned economy. Any failure in this respect is bound to invite disaster, the magnitude of which may not be capable of being controlled if we allow the evil to spread too far. It is this sense of urgency and primacy which must govern our attitude to those who push up the prices in difficult situations without reason or without justification. If trade today resists regulation, the onus and responsibilty is on it, for howsoever I have tried to understand it it is impossible for me to fathom the reasons for sudden spurts in prices in respect of commodities and stocks which have been purchased at a time when the ruling prices were lower. It is clear that such fluctuations in prices are due to the desire on the part of the trade to exploit the distress of the people to its undeserved advantage.

Once the necessity for controls and regulations is conceded, it is obvious that they have to be devised in a manner that will meet the social purpose in view. So far as the Government is concerned, that purpose is two-fold—the supply of food articles to the vulnerable section of the population at rates which are reasonable and the maintenance of market price, keeping in view the larger economic interests of the country.

What I have said earlier will indicate how we propose to serve these two social purposes through the medium of procurement at fair and equitable rates, price support to the agriculturists at a satisfactory level, regulation of margins and maximum prices at levels which should enable the trade to continue its business at a reasonable profit and the organisation of vigilance and supervision over trade in a manner that would prevent mockeries of rules and regulations being perpetrated. Whatever further improvements in our machinery of regulations and vigilance that may be required to maintain prices at reasonable levels would be enforced strictly.

So far as trade is concerned, if it behaves well it should not be afraid; but where it does not, I am quite sure that it is not entitled to sympathy or consideration and, therefore, cannot make a grievance of any action that might be taken against it. Ultimately, the trade must learn to regulate itself in a manner consistent with social purpose and public policies. Any threat of defiance or non-observance can only mean escape from responsibilities of patriotic duty and patriotic citizenship at a time when

the country's economic and other interests require that the whole country should be attuned to the need of prosperity and welfare.

In such a situation, it is also necessary that Government should acquire control over strategic points of distribution which would enable us to function effectively should things not proceed according to plan. It is in this context and the history of abnormal rises in prices that take place from time to time that there is justification for the demand of State control and regulation of processing units. Already a substantial amount of control exists over roller flour mills and over rice mills. I have no doubt that in future we shall have to provide for more effective regulation of margins on rice mills and, where necessary, for their taking over.

In any case, the question has now been settled beyond the realm of debate and discussion because at Bhubaneswar we adopted a resolution to which we in the Congress Party are all committed.

Shri Ranga (Chittoor): That is between yourselves in the ruling party; not for us.

Shri Swaran Singh: Yes, I know. We have taken that decision.

I am at present engaged in consultations with the State Governments as to how best to implement that resolution, so far as rice mills are concerned.

Shri Ranga: We are out here to oppose it.

Shri Swaran Singh: The House must appreciate, however, that like other industrial fields, there is a large variety of rice mills as well and not many of them are really organised as a large-scale industry. We shall have therefore, to choose the field of operation and also the sector in which it would be best for us to acquire controls. It is also clear that we shall have to promote co-operative endeavour in this field as in others. Here I will not go into the details because I have spelt them out on occasions more than once, particularly when I had the honour to reply to the debate that took place some weeks ago, on the power of the State to regulate margins, to see where the stocks are and to give purposeful directions about the channelling of those stocks in directions which are in the overall interest of both the grower and the consumer—I repeat, in the interests of the grower, because the grower's interest is affected more than any other individual's or sector's interest if the prices fluctuate over a wide region.

Sometimes when I give my dispassionate thought to the opinions held by people like my hon. friend, Professor Ranga, who says that Government should have a price support policy where they should be prepared to purchase at a price which they think is reasonable or remunerative—use any expression you like—I find he is nodding assent—or Dr. Deshmukh who says that the grower should get a very high price, remunerative price, but there should be no State trading, I am not able to follow their reasoning. Now I put to my hon. friend, Shri Ranga and Dr. Deshmukh, one question. You want the State to come into the market and make purchases at a price which you think is remunerative; still, you say, that Government should not do State trading. Then, what are we to do with the stocks that we have purchased in order to give price support: Therefore, the essential is that the price in the market may be lower than what Professor Ranga or I think to be remunerative price or a reasonable price. Therefore, the State must at that time go to the market and make purchases.

Shri P. K. Deo (Kalahandi): But no monopoly.

Shri Swaran Singh: But what are we to do with those purchases? They do not answer that question.

Shri Ranga: May I in half a minute point out . . .

Shri Swaran Singh: No, I am not yielding. After I finish, he can put any number of questions.

Shri Ranga: When the State comes in as champion . . .

Mr. Speaker: Two Members cannot speak simultaneously. Only one can hold the floor.

Shri Swaran Singh: Unfortunately, a great deal is sought to be brought in sometimes, according to one's own thinking, under the expression "State trading".

Shri Ranga: The difficulty is that if I get into your place, I will be made to speak as you are speaking.

Shri Swaran Singh: But he will have to wait for a long time if he continues to pursue his present policy . . . (*Interruption*). I can tell Professor Ranga that he will have to wait for a very long time so long as his party continues to pursue the present policy.

Shri Ranga: Otherwise, I would have become your predecessor long ago.

Shri Swaran Singh: There was some hope of his coming to this place, if he was in this Party. When he was in this Party, he was pursuing a progressive policy. But of his own choice he has gone to a party whose policies are extremely reactionary . . (*Interruption*) and from any angle, from the general welfare angle are completely out of tune with the march of events.

Shri Ranga: What a champion you are!

Shri Swaran Singh: Therefore these will remain dreams which will not really materialise for a long, long time to come . . . (*Interruption*).

Shri Tyagi (Dehra Dun): He will come back.

Mr. Speaker: Nothing out of tune.

Shri Ranga: Here is a great champion of the people.

Shri Swaran Singh: Forgive me if I gave that impression but I was not trying to build up an argument.

Shri Ranga: What else were you doing?

Shri Swaran Singh: My point is that once we concede that the State has to step in in pursuance of the policy of price support the State should go into the market and make purchases in order to ensure that prices do not fall below a certain level, we tread on this ground of the State coming into the field of trading. I will not use the expression 'State trading' if my hon. friend, Shri Ranga, is allergic to that.

Shri Ranga: Do not be monopolistic.

Shri Swaran Singh: It is not the intention of anybody to monopolise or to create a monopoly in the trading of foodgrains. I do not know why he has run away with this idea. I have talked of strategic controls at important levels so that the objective is fulfilled.

My hon. friend, Shri Ranga, and some others of his way of thinking in the one breath say that the State should come in and see that immediately after the harvest, prices are not permitted to fall below a certain level and in the lean period they are not permitted to shoot up—therefore, they are asking me to exercise control —but when I use that expression, they get frightened and raise all types of bogeys. So, let us view the situation.

Thakur Yashpal Singh for whom I have great admiration because every time he champions the cause of the peasants also said as to why these big traders and big business are permitted to make these huge profits. Prob-

ably Thakur Yashpal Singh is not quite in touch with the industrial sector of his own party, for what he says is not liked by those who are in charge of the industrial and economic policies of his own party and I am sure that he will shiver in his shoes if he fully understood the implications of the various policies that friends in his own party have got about the functioning of trade and various things . . . (*Interruption*).

Shri Ranga: He will be defeated next time.

Mr. Speaker: Let him make his speech.

Shri Ranga: What reply is he making excepting offering an apology?

Mr. Speaker: Then the hon. Minister might sit down for a while.

Shri Ranga: Very good; it is a good thing.

Shri Swaran Singh: If I may say so, I feel greatly complimented if I have, even to a very small measure, caused some irritation to the placid mind of Professor Ranga. To that extent, I think, I would have done something. I do sometimes get a feeling that I am on the right track if his party gets somewhat annoyed.

Shri Ranga: We must always have you on the wrong side.

Shri Swaran Singh: I am extremely grateful for all the indulgence that has been shown to me. I have covered the ground on the agricultural production front, the long-term policies and also the short-term problems. I have indicated some aspects of the long-term thinking of our agriculture and food problems which have occurred to me. The problems are so vast, difficult and complicated that the list cannot by any means be called exhaustive. If what I have said has served to transport the minds of hon. Members from our immediate involvement to the long-term entanglements, my purpose shall have been served. I would like to plead with the House that in that long-term picture, the temporary difficulties are only a passing phase. We may or may not be able to deal effectively with one or the other of those problems, but so long as we are sure of the ultimate objective and the ultimate picture that we wish to achieve and so long as we are careful to profit from lessons of our experience, I have no doubt that finally it is the honesty of purpose, earnestness of endeavour, maintenance of discipline and application of healthy restraints required in a planned economy that will prevail. It is in this firm faith and assurance that I will commend the demands of my Ministry to the approval of this House.

श्री बागड़ी : दो फसलों के बीच में दाम के बढ़ने की जो बात है उस के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि दोनों में दामों का कितना अन्तर रहेगा । इस के ऊपर भी तो कुछ कह दिया जाये ।

श्री काशी राम गुप्त : मंत्री महोदय ने कहा था कि अगर माननीय सदस्य चाहें तो बाद में प्रश्न कर सकते हैं । इसलिए अब तो मुझे प्रश्न करने की इजाजत दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने तो नहीं कहा था ।

श्री काशी राम गुप्त : मैं आप से निवेदन कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय उस वक्त सिर्फ प्रोफेसर रंगा की बात थी । लेकिन जब एक माननीय सदस्य ने प्रश्न कर लिया है तो एक आप भी कर लें ।

श्री काशी राम गुप्त : मंत्री महोदय ने फरमाया कि जो कमी वाले इलाकों के जोन हैं उन में विलायती गेहूं वे देंगे । लेकिन जहां ज्यादा पैदा हो रहा है वहां जो बड़े बड़े शहर हैं उन में उस गेहूं को देंगे या नहीं

[श्री काशी राम गुप्त]

क्योंकि लागों की साइकोलोजी बन गई है कि वह गेहूं खराब होता है और भले ही उस की कीमत ४ या ५ रुपया कम है तो भी नहीं लेना चाहिये । इस के बारे में क्या विचार है ?

Shri Iqbal Singh (Ferozepur): The country has been divided into nine zones so far as wheat is concerned. Will the Government take some steps to see that the difference between the price in the surplus wheat zone, for instance, Punjab, and the price in the Southern Zone is not more than the usual difference and that it is not a difference of Rs. 10|-, Rs. 20|- or Rs. 30|-?

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय,.....

अध्यक्ष महोदय : अगर एक-एक पार्टी एक-एक सवाल कर ले तब तो ठीक भी है लेकिन अगर एक-एक मेम्बर सवाल करेगा तो कैसे काम चलेगा ?

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, अकाल वाली जो बात है उस का भी कोई जवाब नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : अगर अकाल वाली बात का जवाब नहीं दिया गया तो काल वाली बात मैं कहां से लाऊं ?

Dr. M. S. Aney (Nagpur): May I know from the hon. Minister whether for the fixation of price he will consider the purchasing capacity of the ordinary man or only the interest of the farmer?

श्री रामसेवक यादव : मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि जो आंकड़े खेती के दिये गये उन में आजादी के पहलेजो यहां पर रूलर्स थे उन के इलाकों की जमीनों को नहीं शामिल किया गया था, और क्या अब उन को शामिल कर लिया गया है ।

श्री कछवाय : मंत्री महोदय ने अपने भाषण में दिल्ली दुग्ध योजना के बारे में कुछ नहीं कहा । उस में लाखों रुपयों के घोटाले हो रहे हैं फिर भी उस को चलाया जा रहा है । लाखों रुपयों का घी बेकार हो रहा है, दूध बेकार होता है । अगर इस सम्बन्ध में दो चार बातें वे कह दें तो अच्छा होगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह दूध का वक्त तो नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : उस के लिए शाम का वक्त है ।

श्री काशी राम गुप्त : चाय में डालने का समय तो है ।

Shri Jashvant Mehta (Bhavnagar) The hon. Minister has said that a committee has been constituted to consider the question of taking over of sugar industry.

Shri Swaran Singh: I did not say about any committee.

Shri Jashvant Mehta: The Government has constituted a committee to consider the question of uneconomic units. Will the Government take over all uneconomic units or all the industry? Secondly,....

Mr. Speaker: One has been finished; no second question.

श्री सरजू पाण्डेय : मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के भाषण से यह चीज नहीं निकली कि निकट भविष्य में दामों को गिराने के लिये सरकार कौन सा खास कदम उठा रही है, और क्या यह उम्मीद की जाये कि महीने, दो महीने में गल्ले के दाम गिरेंगे ? क्या इस की कोई सम्भावना है ?

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : डा० राम सुभग सिंह ने अपने भाषण में

कहा था कि २५० नलकूप राजस्थान के अन्दर खोदे जायेंगे और राज्य सरकार से कुछ सहायता ली जायेगी । अभी दो-तीन दिन पहले राजस्थान के मंत्रियों की बैठक हुई थी उस में यह मालूम हुआ कि उन्होंने एक पैसा भी देने से इंकार किया है । तो केन्द्रीय सरकार की इस अकाल-पीड़ित क्षेत्र में उन को खोदने की इच्छा है या नहीं ?

Shri P. Venkatasubbaiah (Adoni): The hon. Minister has not clearly stated the amount that has been spent on the plant protection schemes in the country and whether they are commensurate with the food production plans. I want to know that. I also want to know what he has done about the crop insurance scheme that is going to be introduced.

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam): Sometimes by neglecting small matters, we end in colossal failures. I just want to ask the hon. Minister as to whether the statistics reveal that the factors of production which have been supplied to the farmer have all been concentrated on the same plot or what. Otherwise, as we find in the case of social welfare schemes, we cannot count on numbers only.

Shri Swaran Singh: I am happy that these questions have been put because they give me an opportunity to clear some of the points.

Shri Bagri's one point was about the scarcity conditions in Rajasthan and in his own constituency, namely, the southern parts of Punjab. On that point, a great deal was said by my colleague Dr. Ram Subhag Singh but apparently Shri Bagri was not present at that time. Every step is being taken to give all possible relief to the scarcity affected people.

The other questions raised by him is the prevalence of high prices at the pre-harvest time as compared to those at the post-harvest time. That is the main burden of my speech and if he examines it at his leisure, he will find the answer to the point that he has in his mind.

My friend Shri Kashi Ram Gupta has raised this point. He raised it in his main speech also. His point is whether we try to remove the consumer resistance so far as the imported wheat is concerned. I think, to a large extent, that consumer resistance is disappearing. If there are any particular areas even inside a State which act as a great sucking influence upon the availability of foodgrains, we can think in terms of isolating those areas and we can give assured supplies to these difficult areas separately.

My friend, Shri Iqbal Singh, has raised the question about the prevalence of wheat prices in surplus areas and the State which he represents, that is, Punjab, is obviously in his mind. I would like to remind him that the Punjab Government has been demanding for quite some time that Punjab should be declared as a separate zone and, in fact, their Minister had made a statement on the floor of their Assembly that they have already moved the Centre for declaring Punjab as a separate zone. The Punjab surplus will be available for the Delhi public. Therefore, Delhi which is a consumption centre is part of the wheat zone of Punjab. I would like to give the information to the House that this year my estimate is that we will give to Punjab imported wheat which may be of the order of about 2,75,000 tons to 3,00,000 tons which everyone will agree is a very substantial quantity and the available figures indicate that the total quantity of wheat that moves out of Punjab was of the order of 3½ lakh tons. So, the surplus that is there is not large, and whatever the surplus may be can always be moved on the States' sponsored account and which is supplied to areas where the requirements are large. The Punjab Government is already seized of this problem and I have no doubt that they will go into

[Shri Swaran Singh]

the market if prices show a tendency of sagging below a reasonable limit.

Then, our revered Dr. Aney posed this question, that is, in fixing prices or maintaining a price level, will the consumer be kept in view or the grower? My reply is simple. I said, 'both' and a good portion of my speech was devoted to that aspect.

Shri Jashvant Mehta's query was about our taking over of uneconomic units. The main purport of my speech is that a result of the investigation that is being carried on by the Committee, if it is found that large scale investments have to be made in order to make them viable or more economic, then it will be a serious question for consideration as to whether we should make all those credits and facilities aailable to them or whether we should not take over the management. It is a problem somewhat different from this bigger question of nationalisation which prompted him to put this question.

My hon. friend, Sarjoo Pandey, still remains unconvinced because he says, what particular steps have I taken or I propose to take to hold the price line as if the steps that I enunciated are not particular? My contention is that I have indicated very concrete steps that are proposed to be taken to hold the price line and also to ensure a reasonable price, an equitable price, to the grower. I am glad that, at any rate, he does say that some step has been taken. He says, खास कदम क्या उठाए हैं । If he applies his mind a little greater, of which I am quite conscious he is capable of, he will be convinced that these steps are concrete steps, not just vague ideas.

Another question put was about these 250 tubewells for Rajasthan. My colleague has announced it and the position is that the Government of India have taken a decision to construct 250 tubewells in the scarcity areas of Rajasthan as an emergency measure. The Exploratory Tubewells Organisation which is meant for constructing irrigation wells will undertake this work in collaboration with the State departments concerned as a special case. The expenditure incurred will be met by way of Central assistance in the form of loans.

I agree with my friend Shri P. Venkatasubbaiah when he raised the question of pesticides. I feel that we have to do a great deal more in the matter of pesticides. I am in touch with the State Governments. I intend to encourage them to undertake their own programmes which cover larger areas rather than leave it to the individual growers and it is also my intention to bring down the prices of insecticides, the actual chemicals that are supplied as the necessary material which is used by them.

The last query of the hon. lady Member I could not follow. She had some complaint about the statistics.

Shri P. Venkatasubbaiah: I asked about the crop insurance scheme also.

Shri Swaran Singh: Shri Ram Sewak Yadav's point that we were now including former ruler's areas in our statistics, but not in earlier years, is not correct.

Some Hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: I am not allowing any other questions.

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मेरा सवाल समझा नहीं । उस सवाल का उत्तर तो दिया जाय । प्रश्न पूछने का मतलब ही क्या जबकि उसका जवाब न आय ।

श्री कछवाय : दूध और मक्खन का कोई हिसाब नहीं रखा गया ।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त हिसाब नहीं होगा । आप बैठ जाइए ।

श्री राम सेवक यादव : एक सवाल . . .

Mr. Speaker: I have told the hon. Members that I am not going to allow any other questions.

Any cut motions that I am required be put separately?

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): My cut motion No. 23 may be put separately.

Shri Narasimha Reddy (Rajampet): My cut motion No. 140 may also be put separately.

Mr. Speaker: These are the two cut motions that are to be put separately. I will first put cut motion No. 23 separately.

The question is:

"That the Demand under the head Ministry of Food and Agriculture be reduced by Rs. 100."

[*Failure to assure a minimum and reasonable price to the agriculturists* (23)].

Let the Lobbies be cleared.

The Lok Sabha divided:

Division No. 13] **[15·34 hrs.**

AYES

Aney, Dr. M.S.
Basant Kunwari, Shrimati
Berwa, Shri Onkar Lal
Bheel, Shri P.H.
Brij Raj Singh, Shri
Buta Singh, Shri
Chaudhary, Shri Y.S.
Deo , Shri P.K.
Dwivedy, Shri Surendranath
Gupta, Shri Kanshi Ram
Jha, Shri Yogendra
Kachhavaiya, Shri
Kamath, Shri Hari Vishnu
Kapur Singh, Shri
Kar, Shri Prabhat
Krishnapal Singh, Shri
Lahri Singh, Shri
Masani, M.R.
Mate, Shri
Mehta, Shri Jashvant
Mohan Swarup, Shri
Nambiar, Shri
Pandey, Shri Sarjoo
Rajaram, Shri
Ranga, Shri
Reddy, Shri Narasimha
Reddy, Shri Yallamanda
Roy, Dr. Saradish
Shashank Manjari, Shrimati
Singh, Dr. B.N.
Singha, Shri Y.N.
Sivasankaran, Shri
Solanki, Shri
Tan Singh, Shri
Utiya, Shri
Vishram Prasad,
Yashpal Singh, Shri

NOES

Achuthan, Shri
Akkamma Devi, Shrimati
Arunachalam, Shri
Babunath Singh, Shri
Bal Krishna Singh, Shri
Barkataki, Shrimati Renuka
Barman, Shri P.C.
Basappa, Shri
Basumatari, Shri
Besra, Shri
Birendra Bahadur Singh, Shri
Bist, Shri J.B.S.
Brajeshwar Prasad, Shri
Chandrabhan Singh, Shri
Chaudhry, Shri C.L.
Chavda, Shrimati
Chettiar, Shri Ramanathan
Chuni Lal, Shri
Das, Shri B.K.
Das, Shri N.T.
Dass, Shri G.
Deo Bhanj, Shri P.C.
Firodia, Shri
Gajraj Singh Rao, Shri
Guha, Shri A.C.
Hazarika, Shri J.N.
Himatsingka, Shri
Iqbal Singh, Shri
Jamunadevi, Shrimati
Jyotishi, Shri J.P.
Keishing, Shri Rishang
Khadilkar, Shri
Kotoki, Shri Liladhar
Krishna, Shri M.R.
Kureel, Shri B.N.
Lakshmikanthamma, Shrimati
Lalit Sen, Shri
Laskar, Shri N.R.
Laxmi, Bai, Shrimati
Mandal, Dr. P.
Mandal, Shri J.
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Marandi, Shri
Maruthiah, Shri
Mehdi, Shri S. A.
Mehrotra, Shri Braj Bihari
Mehta, Shri Jashvant
Menon, Shri P.G.
Minimata, Shri
Mishra, Shri Bibhuti
Misra, Shri Shyam Dhar
Mohanty, Shri G.
Mukane, Shri
Mukerjee,Shrimati Sharda
Murthy, Shri B.S.
Naidu, Shri V.G.
Niranjan Lal, Shri
Paliwal, Shri
Pandey, Shri R.S.
Pant, Shri K. C.
Parashar, Shri
Patil, Shri D.S.
Pillai, Shri Nataraja
Raghunath Singh, Shri
Raj Bahadur, Shri
Rajdeo Singh, Shri

NOSE—*contd.*

Raju, Shri D.B.
Ram, Shri T.
Ram Sewak, Shri
Ram Subhag Singh, Dr.
Ram Swarup, Shri
Ranjit Singh, Shri
Rao, Dr. K.L.
Rao, Shri Muthyal
Rattan Lal, Shri
Rawandale, Shri
Saha, Dr. S.K.
Samanta, Shri S.C.
Saraf, Shri Sham Lal
Sarma, Shri A.T.
Satyabhama Devi, Shrimati
Sen, Shri P.G.
Sharma, Shri A.P.
Shashi Ranjan, Shri
Shinde, Shri
Shree Narayan Das, Shri
Shyamkumari Devi, Shrimati
Siddananjappa, Shri
Sinha, Shrimati Tarkeshwari
Sivappraghassan, Shri
Subbaraman, Shri C.
Sumat Prasad, Shri
Sunder Lal, Shri
Surendra Pal Singh, Shri
Swamy, Shri M.P.
Swaran Singh, Shri
Thomas, Shri A. M.
Tiwary, Shri K.N.
Uikey, Shri
Ulaka, Shri
Upadhyaya, Shri Shiva Dutt
Venkatasubbaiah, Shri P.
Verma, Shri Balgovind
Wadiwa, Shri
Yadava, Shri B.P.

Mr. Speaker: The result of the Division is:

Ayes : 37; *Noes* : 106

The motion was negatived.

Shri Prabhat Kar (Hooghly): My hon. friend Shri Yallamanda Reddy has pressed the button opposite Shri R. N. Reddi's seat. I request that the record may be corrected.

Shri Ram Sewak Yadav *rose.*

Mr. Speaker: What is that Shri Ram Sewak Yadav wants?

Shri Ram Sewak Yadav: I want my cut motion No. 179.... (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : मशीन ने काम नहीं किया या आपने ?

श्री राम सेवक यादव : गलती हो गयी ।

अध्यक्ष महोदय : फिर वह तो गिनी नहीं जायेगी ।

Now, I shall put cut motion No. **140** to the vote of the House.

The question is:

"That the Demand under the head Agriculture be reduced by Rs. 100."

[*Failure to supply adequate working capital at nominal rate of interest to small holders and tenants* (140)].

Let the Lobby be cleared.

The Lok Sabha divided:

[15:36 hrs.

Division No. 14]

AYES

Basant Kunwari, Shrimati
Berwa, Shri Onkar Lal
Bheel, Shri P.H.
Brij Raj Singh, Shri
Buta Singh, Shri
Chaudhary, Shri Y.S.
Deo, Shri P.K.
Dwivedy, Shri Surendranath
Gupta, Shri Kanshi Ram
Kachhavaiya, Shri
Kamath, Shri Hari Vishnu
Kapur Singh, Shri
Kar, Shri Prabhat
Krishnapal Singh, Shri
Lahri Singh, Shri
Masani, Shri M.R.
Mate, Shri
Mehta, Shri Jashvant
Mohan Swarup, Shri
Nambiar, Shri
Pandey, Shri Sarjoo
Rajaram, Shri
Ranga, Shri
Reddy, Shri Narasimha
Reddy, Shri Yallamanda
Roy, Dr. Saradish
Shashank Manjari, Shrimati
Singh, Dr. B.N.
Singha, Shri Y. N.
Sivasankaran, Shri
Tan Singh, Shri
Utiya, Shri
Vishram Prasad, Shri
Yadav, Shri Ram Sewak
Yashpal Singh, Shri

NOES

Achuthan, Shri
Akkamma Devi, Shrimati
Aney, Dr. M.S.
Arunachalam, Shri
Babunath Singh, Shri
Bal Krishna Singh, Shri
Barkataki, Shrimati Renuka
Barman, Shri P. C.
Basappa, Shri
Basumatari, Shri
Besra, Shri
Birendra Bahadur Singh, Shri
Bist, Shri J.B.S.
Braieshwar Prasad, Shri
Chandrabhan Singh, Shri
Chaudhry, Shr C.L.
Chavda, Shrimati
Chettiar, Shri Ramanathan
Chuni Lal, Shri
Das, Shri B.K.
Das, Shri N.T.
Dass, Shri G.
Deo Bhanj, Shri P. C.
Firodia, Shri
Gajraj Singh Rao, Shri
Guha, Shri A.C.
Hazarika, Shri J.N.
Himatsingka, Shri
Iqbal Singh, Shri
Jamunadevi, Shrimati
Jyotishi, Shri J.P.
Keishing, Shri Rishang
Khadilkar, Shri
Kotoki, Shri Liladhar
Krishna, Shri M.R.
Kureel, Shri B.N.
Lakshmikanthamma, Shrimati
Lalit Sen, Shri
Laskar, Shri N.R.
Laxmi Bai, Shrimati
Mandal, Dr. P.
Mandal, Shri J.
Mandal, Shri Yamuna Prasad

NOES—*contd.*

Marandi, Shri
Maruthiah, Shri
Mehdi, Shri S.A.
Mehrotra, Shri Braj Bihari
Mehta, Shri Jashvant
Menon, Shri P. G.
Minimata, Shri
Mishra, Shri Bibhuti
Misra, Shri Syhyam Dhar
Mohanty, Shri G.
Mukne, Shri
Mukerjee, Shrimati Sharda
Murthy, Shri B.S.
Naidu, Shri V.G.
Niranjan Lal, Shri
Paliwal, Shri
Pandey, Shri R.S.
Pant, Shri K. C.
Patamasivan, Shri
Parashar, Shri
Patil, Shri D.S.
Pillai, Shri Nataraja
Raghunath Singh, Shri
Raj Bahadur, Shri
Rajdeo Singh, Shri
Raju, Shri D.B.
Ram, Shri T.
Ram Sewak, Shri
Ram Subhag Singh, Dr.
Ram Swarup, Shri
Ranjit Singh, Shri
Rao, Dr. K.L.
Rao, Shri Muthyal
Rattan Lal, Shri
Rawandale, Shri
Saha, Dr. S.K.
Samanta, Shri S.C.
Saraf, Shri Sham Lal
Sarma, Shri A.T.
Satyabhama Devi, Shrimati
Sen, Shri P. G.
Sharma, Shri A.P.
Shashi, Ranjan, Shri
Shinde, Shri
Shree Narayan Das, Shri
Shyamkumari Devi, Shrimati
Siddananiappa, Shri
Sinha, Shrimati Tarkeshwari
Sivappraghassan, Shri
Subbaraman, Shri C.
Sumat Prasad, Shri
Sunder Lal, Shri
Surendra Pal Singh, Shri
Swamy, Shri M.P.
Swaran Singh, Shri
Thomas, Shri A.M.
Tiwary, Shri K.N.
Uikey, Shri
Ulaka, Shri
Upadhyaya, Shri Shiva Dutt
Venkatasubbaiah, Shri P.
Verma, Shri Balgovind
Wadiwa, Shri
Yadava, Shri B.P.

Mr. Speaker: The result of the Division is:

Ayes : 35; *Noes* 107

The motion was negatived.

Mr. Speaker: Now, I shall put all the other cut motions to vote.

All other cut motions were put and negatived.

Mr. Speaker: The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1965, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 36 to 41 and 124 to 126.".

The motion was adopted.

[*The motions of Demands for Grants which were adopted by the Lok Sabha are reproduced below*—Ed.].

DEMAND No. 36—MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE

"That a sum not exceeding Rs. 77,71,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1965, in respect of 'Ministry of Food and Agriculture'."

DEMAND No. 37—AGRICULTURE

"That a sum not exceeding Rs. 4,00,11,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1965, in respect of 'Agriculture'."

DEMAND No. 38—AGRICULTURAL RESEARCH

"That a sum not exceeding Rs. 6,18,23,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the

31st day of March, 1965, in respect of 'Agricultural Research'."

DEMAND NO. 39—ANIMAL HUSBANDRY

"That a sum not exceeding Rs. 1,03,53,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1965, in respect of 'Animal Husbandry'."

DEMAND NO. 40—FOREST

"That a sum not exceeding Rs. 1,14,46,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1965, in respect of 'Forest'."

DEMAND NO. 41—OTHER REVENUE EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE

"That a sum not exceeding Rs. 17,08,52,000 be ganted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1965, in respect of 'Other Revenue Expenditure of the Ministry of Food and Agriculture'."

DEMAND NO. 124—CAPITAL OUTLAY ON FORESTS

"That a sum not exceeding Rs. 1,77,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1965, in respect of 'Capital Outlay on Forests'."

DEMAND NO. 125—PURCHASE OF FOODGRAINS

"That a sum not exceeding Rs. 2,19,54,49,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1965, in respect of 'Purchase of Foodgrains'."

DEMAND NO. 126—OTHER CAPITAL OUTLAY OF THE MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE

"That a sum not exceeding Rs. 67,53,97,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1965, in respect of 'Other Capital Outlay of the Ministry of Food and Agriculture'."

15.38 hrs.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

Mr. Speaker: The House will take up discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Irrigation and Power, for which 6 hours have been allotted. Hon. Members who wish to move cut motions may send slips to the Table indicating the numbers of the cut motions to be moved and they will be treated as moved if they are otherwise admissible.

DEMAND NO. 67—MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

Mr. Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 23,68,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1965, in respect of 'Ministry of Irrigation and Power'."